



सत्यमेव जयते

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन



संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)
2016 की प्रतिवेदन संख्या-36
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)
2016 की प्रतिवेदन संख्या-36
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

पैरा संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	vii-xi
	अध्याय I: प्रस्तावना	
1.0	आर्मी बेस वर्कशॉपों का आदेशपत्र	1
1.1	संगठनात्मक संरचना	1
1.2	पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं मंत्रालय की प्रतिक्रिया	2
1.3	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3
1.4	लेखापरीक्षा के मापदंड	3
1.5	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3
1.6	लेखापरीक्षा की कार्यविधि	4
1.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4
1.8	आभार	4
	अध्याय II: आर्मी बेस वर्कशॉपों की प्रभावकारिता	
2.0	ओवरहाल का महत्व	5
2.1	उपकरणों की रूपरेखा	5
2.2	अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंड	6
2.2.1	रखरखाव प्रक्रिया	6
2.3	श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बँकलाग	6
2.3.1	महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलाग	7
2.4	505 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), नई दिल्ली	8
2.4.1	ओवरहाल लक्ष्यों का हासिल न किया जाना	8
2.4.2	ओवरहाल में विलंब	9
2.4.3	ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 को युनिटों को जारी करने में विलंब	9
2.4.4	ओवरहाल किए गए उपकरण तथा इंजिनों का न्यूनतम गुणवत्ता इन्डेक्स	10
2.4.5	परीक्षण बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी किया जाना	11
2.5	512 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), किरकी	12

2.5.1	ओवरहाल लक्ष्यों को प्राप्त न किया जाना	12
2.5.2	ओवरहाल में विलम्ब	12
2.5.3	ओवरहाल किए गए उपकरणों को युनिटों को जारी करने में विलंब	13
2.5.4	ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता	14
2.6	509 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), आगरा	17
2.6.1	सिग्नल उपकरणों के ओवरहाल में विलंब	18
2.6.2	युनिटों को सिग्नल उपकरण के प्रेषण में विलंब	18
2.7	510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ	18
2.7.1	श्रेणी 'ब' वाहनों- स्कॅनिया, टाट्रा तथा काज के लिए ओवरहाल पॉलिसी	19
2.8	515 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), बंगलुरु	19
2.8.1	वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल की शुरुआत न होना	19
2.8.2	कार्य आदेशों के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब	20
2.8.3	त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों की मॉनिटरिंग न किया जाना	21
2.9	लागत लेखा प्रणाली का मौजूद न होना	22
अध्याय III: आधारभूत संरचना तथा आधुनिकीकरण		
3.0	आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता	24
3.1	दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार न कर पाना	24
3.2	ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में असामान्य विलम्ब	24
3.2.1	उपकरण को हटाए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व ओवरहाल सुविधा की निर्मिति के कारण ₹ 73.43 करोड़ का निष्फल व्यय	25
3.2.2	एआरवी वी टी-72बी तथा डब्ल्यूझेडटी-3 के लिए ओवरहाल सुविधाओं का निर्माण न हो पाया	25
3.2.3	टैंक टी-90 के लिए घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) हेतु आधारभूत संरचना की निर्मिति में विलंब	26
3.2.4	एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं की कमी	27
3.3	मंजूरी के तेरह वर्षों के पश्चात भी ट्यूलिप परियोजना का अकार्यान्वयन	27
3.4	₹ 6.53 करोड़ मूल्य की प्रूफ फायरिंग सुविधा का उपयोग न किया जाना तथा प्रूफ फायरिंग के बगैर युनिटों को ओवरहाल बीएमपी का जारी किया जाना	28
3.5	एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण में विलंब	28

3.6	अनुमोदन वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अप्रभावपूर्ण निष्पादन	29
3.6.1	निस्सारी उपचार संयंत्र (ईटीपी) का गैर- प्रतिस्थापन	29
अध्याय - IV: पुर्जों का प्रबंधन		
4.0	प्रस्तावना	31
4.1	पुर्जों का प्रावधान	31
4.1.1	पुर्जों की आपूर्ति में आयुध डिपो की असफलता	32
4.1.2	सीएएफवीडी, किरकी द्वारा पुर्जों की माँग को रखे जाने में विलंब	33
4.1.3	आयुध फैक्टरियों को रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना	34
4.1.4	पीएसयू पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना	34
4.2	क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना	35
4.3	आयुध फैक्टरियों द्वारा त्रुटिपूर्ण भण्डारों का न बदला जाना	37
4.4	सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपों के क्रियान्वयन में विलंब	37
4.5	आपूर्ति तथा ओवरहाल एजन्सी के बीच असमन्वयन के कारण उसकी परिणति अयोग्य पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुई	38
	संक्षिप्तियों की सूची	41-43

प्रस्तावना

भारतीय सेना को सामरिक रूप से सुसज्जित रखने के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप शस्त्रों, वाहनों तथा उपकरण की मरम्मत तथा ओवरहाल का कार्य करते हैं। आठ आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू) हैं, जिनमें से पाँच एबीडब्ल्यू यथा 505 एबीडब्ल्यू दिल्ली; 509 एबीडब्ल्यू आगरा; 510 एबीडब्ल्यू मेरठ; 512 एबीडब्ल्यू किरकी तथा 515 एबीडब्ल्यू बंगलुरु को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था।

समयोचित ओवरहाल करना, आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों की समय पर उपलब्धता तथा मरम्मतों की गुणवत्ता के संबंध में वर्कशॉप की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए जुलाई 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान “आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन” की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित की गई । प्रणालीगत कमियों को रेखांकित करते हुए तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिशें करते हुए, यह रिपोर्ट एबीडब्ल्यू के कार्यचालन में समग्र सुधार लाने का प्रयास करती है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए संपादित की गई है तथा यह रिपोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार की गई है।

कार्यकारी सारांश

1. हमने यह निष्पादन लेखापरीक्षा क्यों की?

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1992 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 तथा वर्ष 2005 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या 6 के पैरा संख्या 3.1 में आर्मी बेस वर्कशॉपों की पुनरीक्षण पर टिप्पणी की गई थी। प्रतिवेदनों में दर्शाए गए प्रमुख मुद्दों में वर्कशॉपों का प्रगतिशील उन्नयन, मरम्मत योग्य उपकरण की अनुपलब्धता के कारण संपूर्ण रूप से मौजूद क्षमताओं का उपयोग में नहीं लाया जाना, पुर्जों की अनुपलब्धता तथा लागत लेखा पद्धति को क्रियान्वित नहीं किया जाना समाहित था।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा “आर्मी बेस वर्कशॉपों का कार्यचालन”, ओवरहाल की समयोपरिता, ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों मात्रा की समयोपरि उपलब्धता तथा मरम्मत किए गए उपकरण की गुणवत्ता आदि के संबंध में वर्कशॉपों की प्रभावकारिता को निर्धारित करने के लिए की गई है। पहले किए पुनरीक्षण पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में दिए गए आश्वासनों की स्थिति को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया था।

2. प्रमुख निष्कर्ष

सेना में आठ आर्मी बेस वर्कशॉप हैं, जिनमें से सात उपकरण/शस्त्रों की मरम्मत तथा ओवरहाल के कार्य करने के लिए जिम्मेवार है और एक वर्कशॉप को पुर्जों के स्वदेशीकरण तथा उसके निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2010-11 से 2015-16 तक की छह वर्षों की अवधि को आवरित करती है। इन आठ आर्मी बेस वर्कशॉपों में से पाँच अर्थात् 505 एबीडब्ल्यू, नई दिल्ली, 509 एबीडब्ल्यू, आगरा, 510 एबीडब्ल्यू मेरठ, 512 एबीडब्ल्यू, किरकी को उपकरणों की भारतीय सेना के लिए क्रिटिकैलिटी के आधार पर तथा 515 एबीडब्ल्यू, बंगलुरु जो कि पुर्जों के निर्माण के लिए एकमात्र कार्यशाला है, का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था।

लड़ाकू उपकरण के ओवरहाल का बँकलॉग

भारतीय सेना के पास बहुतायत में शस्त्र प्रणाली तथा उपकरण की इन्वैन्टरी हैं, जिनका सामरिक सुसज्जता के लिए रखरखाव तथा बनाए रखना आवश्यक है। उपकरण के ओवरहाल का आवर्तन, अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा उपकरण के कल्पित जीवनचक्र के आधार पर निर्धारित होता है। इस नीति को सेना में उपकरण को शामिल करते समय बनाया जाता है।

- टैंक टी-72 के मामले में, ओवरहाल के बँकलॉग की मात्रा 2010-11 के अंत में 713 से 2015-16 के अंत तक 479 तक घट गई जो कि कुल धारण किए गए उपकरणों के लगभग 20 प्रतिशत बनती है।
- बीएमपी-II तथा बीएमपी-II के टैंकों तथा आर्मर्ड रिकवरी वाहन अर्थात् एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2, के मामले में भी इस अवधि के दौरान ओवरहाल का बँकलॉग कम हुआ जो कि बहुत ही न्यून था। 802 बीएमपी जो कुल धारित उपकरण के 33 प्रतिशत बनता है तथा 200 एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2 जो कि, कुल धारित उपकरण के 90 प्रतिशत बनता है, ओवरहाल के लिए देय थे जिससे इस हद तक प्रचालन के लिए फ्लीट की प्रभावपूर्ण उपलब्धता कम हो गई।

(पैराग्राफ 2.3)

सिग्नल उपकरण के ओवरहाल बँकलॉग

हमने रडार फ्लाय कॅचर के 18 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर के 34 प्रतिशत तथा युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार के 21 प्रतिशत में पहले ओवरहाल के बँकलॉग को देखा। इसके अलावा, रडार फ्लाय कॅचर के दूसरे ओवरहाल में 25 प्रतिशत का बँकलॉग देखा गया।

(पैराग्राफ 2.3.1)

श्रेणी 'बी' वाहनों - स्कैनिया, टाट्रा तथा क्राज़ के लिए ओवरहाल पॉलिसी का न होना

स्कैनिया, क्राज़ 255 बी/बी1 तथा टाट्रा टी-815 के लिए मुख्यालय बेस वर्कशॉप ग्रुप (बीडब्ल्यूजी) तथा संबंधित वर्कशॉप के पास कोई ओवरहाल पॉलिसी उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में, ईएमई निदेशालय के निर्देशों के अनुसार बेस वर्कशॉप आठ वर्ष पुराने या उससे ऊपर के वाहनों को ओवरहाल के लिए स्वीकार कर रहे हैं।

(पैराग्राफ 2.7.1)

एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं का अभाव

2004-05 से सेना में 124 एमबीटी अर्जुन टैंको को शामिल किया गया था। 2020-21 से यह टैंक ओवरहाल के लिए देय है। इस उपकरण के शामिल होने के समय 69 प्रतिशत घटक आयातित थे। दो एजन्सीज़ कॉम्बेंट वाहन अनुसंधान विकास संस्थापन (सीवीआरडीई) तथा भारी वाहन फॅक्टरी (एचवीएफ), स्वदेशीकरण तथा आयात के माध्यम से फ्लीट के आयुचक्र के दौरान उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घटकों को प्रदान करने के लिए जिम्मेवार थे। तथापि, सीवीआरडीई की आवश्यक घटक के स्वदेशीकरण करने में असफलता के कारण, एचवीएफ पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पाया। सहायक पुर्जों की गैर-मौजूदगी में एमबीटी अर्जुन 2013 के बाद से परिचलन में नहीं रह पाया।

(पैराग्राफ 3.2.4)

एबीडब्ल्यू द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों का परिमाण

- 505 एबीडब्ल्यू में 2010-11 से 2015-16 की अवधि दौरान टैंक टी-72 के ओवरहाल मूल लक्ष्यों के अनुसार 60 से 83 प्रतिशत के बीच रहा, सिर्फ 2011-12 को छोड़कर, जहाँ 50 टैंक के ओवरहाल लक्ष्य के स्थान पर 10 टैंक ही ओवरहाल हुए थे। टी-72 के इंजिन के संबंध में भी, 2011-12 को छोड़कर, जो एक खराब वर्ष रहा, जहाँ 100 उपकरण के मूल लक्ष्य के सामने सिर्फ सात इंजिनों का ही ओवरहाल हुआ था, अन्य वर्षों के दौरान की कामयाबी 30 (60 प्रतिशत) से प्रभावी ओवरहाल 100 प्रतिशत (2015-16 के दौरान 100 प्रतिशत) के बीच रहा। हालाँकि, 2015-16 के दौरान टैंक टी-72 के ओवरहाल का बॅकलॉग 479 था जो कि 2010-11 के 713 टैंक टी-72 ओवरहाल के बॅकलॉग के मुकाबले कम हुआ।
- 512 एबीडब्ल्यू में, हालाँकि बीएमपी के संबंध में मूल लक्ष्यों के देखते हुए हासिल किए गए लक्ष्य में गिरावट पायी गई जो कि 13 से 62 प्रतिशत रही, परंतु 2013-14 तथा 2014-15 इन दो वर्षों के दौरान ओवरहाल किए बीएमपी की संख्या 104 (लक्ष्य के 85 प्रतिशत से ज़्यादा) तथा 106 (लक्ष्य के लगभग 70 प्रतिशत से ज़्यादा) देखी गई। एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2 के संबंध में हासिल किया गया लक्ष्य 222 के सम्मुख मात्र 22 ही था। 2015-16 के दौरान ही यह उपलब्धि दो अंक वाले आँकड़े (13) तक पहुँच पायी अन्यथा पिछले वर्षों में 02 से 10 के बीच के लक्ष्य के सामने, यह संख्या 0 से 03 के बीच रही। युटीडी-20 इंजिन के संबंध में ओवरहाल के लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी पायी गई क्योंकि 2010-11 से 2015-16 के दौरान समग्र रूप में उपलब्धि मूल लक्ष्य से 77 प्रतिशत से ऊपर रही।
- 509 एबीडब्ल्यू में मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में गिरावट देखी गई जो कि रडार फ्लाय कॅचर में लगभग 50 प्रतिशत और रडार टीसी रिपोर्टर में लगभग 60 प्रतिशत थी। जनसेट 30 केवीए के संबंध में, मूल लक्ष्यों के सामने 2010-11 से 2015-16 के दौरान गिरावट देखी गई जो शून्य(2010-11) से 2014-15 के दौरान 62 प्रतिशत रही। युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (मध्यम दूरी) के मामले में, 2011-13 के दौरान यह गिरावट न्यून देखी गई।
- 510 एबीडब्ल्यू अभियांत्रिकीय उपकरण के प्रकार तथा विशेष वाहनों के ओवरहाल का कार्य करता है। 510 एबीडब्ल्यू सामान्यतः बेहतरीन कार्य करने वाले के रूप में उभरकर सामने आया है, सिर्फ 2014-15 को छोड़कर, जहाँ हेवी रिकवरी वाहन अर्थात् एचआरवी एवी 15 के ओवरहाल में, यह

मूल लक्ष्यों के सम्मुख मात्र 10 प्रतिशत ही देखा गया था। 2015-16 के दौरान यह कार्य पूर्णतः सराहनीय था।

(पैराग्राफ 2.4.1,2.5.1,2.6,2.7)

ओवरहाल में असामान्य विलंब

153 दिनों के मानदंड के सामने, बीएमपी के ओवरहाल में असामान्य विलंब हुआ तथा एबीडब्ल्यू ने ओवरहाल के लिए लगभग 1512 दिनों तक का समय लिया। उसी प्रकार, टैंक टी-72 के लिए 144 दिनों के मानदंड के सामने यह विलंब लगभग 836 दिनों के बीच रहा। बीएमपी के प्रत्येक यूटीडी-20 इंजन के ओवरहाल हेतु लिया गया औसतन समय 308 दिनों का था जो कि 30 दिनों के निर्धारित समय साँचे का 10 गुना था। रडार तथा उसके विभिन्न प्रकार के ओवरहाल में भी 921 दिनों तक की देरी देखी गई।

(पैराग्राफ 2.4.2, 2.5.2, 2.6.1)

बीएमपी के ओवरहाल के लिए न्यून गुणवत्ता इन्डेक्स

ओवरहाल किए गए बीएमपी के लिए गुणवत्ता इन्डेक्स (क्यूआई) 95 होना चाहिए। हमने देखा कि, हासिल किए गए क्यूआय बहुत ही कम था। 2015-16 के दौरान क्यूआय पिछले वर्षों से अपेक्षाकृत बहुत अच्छा होने पर भी बीएमपी के लिए क्यूआय 70.28 तथा 77.4 के बीच रहा।

(पैराग्राफ 2.5.4)

युनिटों को ओवरहाल किए गए उपकरण के प्रेषण में विलंब

ओवरहाल के बँकलॉग तथा विलंब को आगे सेना मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों को देरी से जारी करने तथा आयुध डिपो द्वारा उपकरण के प्रेषण में विलंब ने और अधिक जटिल कर दिया था। यह विलंब मुख्यतः, इन कार्यों को करने के लिए कोई लिखित मानदंड तथा समय साँचे की गैर-मौजूदगी के कारण हुआ।

(पैराग्राफ 2.4.3, 2.5.3, 2.6.2)

एबीडब्ल्यू में टेस्टिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता

मूल उपकरण निर्माणकर्ता (ओईएम) की सिफारिशों के अनुसार, ओवरहाल किए गए गनों की टेस्ट फायरिंग एक अनिवार्य आवश्यकता थी। एबीडब्ल्यू द्वारा बीएमपी तथा टैंक टी-72 को प्रयोक्ता युनिट को उपकरण की टेस्ट फायरिंग के बगैर ही जारी कर दिया गया था क्योंकि, यह आवश्यक टेस्ट सुविधा एबीडब्ल्यू में मौजूद नहीं थी। वर्कशॉप में उभयचर क्षमता, जो कि बीएमपी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, को डिप टेस्टिंग सुविधा की अनुपस्थिति में ओवरहाल किए गए बीएमपी के संबंध में जाँच नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.4.5,2.9.4)

515 एबीडब्ल्यूके कार्य आदेशों के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब

515 एबीडब्ल्यू का प्राथमिक कार्य है भारतीय सेना के पास रखे गए विभिन्न उपकरण के लिए पुर्जों का निर्माण तथा स्वदेशीकरण का कार्य करना। एबीडब्ल्यू, निर्धारित समय सीमा के भीतर रखे गए “ऑपरेशनल इमीडिएट” वर्गीकरण के कार्य आदेशों में से मात्र 27 प्रतिशत को ही पूरा कर पाया। कुछ मामलों में, 12 महीनों की रखी गई समय सीमा के बजाय लिया गया समय लगभग 93 महीनों तक का था जिसने सामरिक तात्कालिकता को ही विफल कर दिया। वरीयता कार्य आदेशों के विषय में, समय साँचे के भीतर कार्य पूरा करने का प्रतिशत मात्र 65 ही था।

(पैराग्राफ 2.8.2)

लागत लेखा पद्धति का मौजूद न होना

मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश यह विनिर्दिष्ट करता है कि वाहन तथा इंजन के ओवरहाल की लागत किसी भी हाल में नए वाहन/इंजन की लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद, मरम्मतों तथा ओवरहालों की लागत की प्रभावशालिता को निश्चित करने के लिए, एबीडब्ल्यू में कोई लागत लेखा पद्धति मौजूद नहीं थी।

(पैराग्राफ 2.9)

ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिती में असामान्य विलंब

- एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2 के ओवरहाल की सुविधा मार्च 2009 में उसके शामिल होने के 28 वर्षों के पश्चात बनाई गई। यह वाहन 1996-97 से ही ओवरहाल के लिए देय था, परंतु 222 की कुल क्षमता के सामने मात्र 22 एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2 का ही ओवरहाल किया जा सका। इस उपकरण को 2018 से हटाए जाने की संभावना थी।
- घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) परियोजना की शुरुआत तथा संस्वीकृति में विलंबों के कारण, न सिर्फ परियोजना की लागत 2004 में ₹ 287 करोड़ से 2011 में ₹ 1835 करोड़ तक बढ़ गई बल्कि, टैंक टी-90 के फर्स्ट मीडियम रिपेयर जो 2012 में देय था, वह भी बकाया रहा।
- 512 एबीडब्ल्यू में अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने हेतु, बीएमपी II/ IIके के लिए संचार तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों की मरम्मत/ओवरहाल के लिए एक न्यूक्लियस के रूप में टूलिप परियोजना की 2003 में ₹ 22.54 करोड़ की लागत पर मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई। इस परियोजना को तेरह वर्षों के पश्चात भी पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाना अभी बाकी था।

(पैराग्राफ 3.2.1,3.2.3,3.3)

प्रूफ फायरिंग के लिए निर्मित शूटिंग गैलरी का इस्तेमाल न होना

नवम्बर 2013 में ₹ 6.53 करोड़ की लागत पर निर्मित की गई शूटिंग गैलरी को विद्युतिय एवं पानी की व्यवस्था न होने के कारण 512 एबीडब्ल्यू (मई 2016) द्वारा नहीं लिया जा सका। इसके अलावा, 512 एबीडब्ल्यू ओवरहाल की गई गन की टेस्ट फायरिंग करने के लिए आवश्यक गोला बारूद के लिए प्राधिकृत नहीं था।

(पैरा 3.4)

क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विचलन संस्वीकृति को बढ़ावा मिलना

आयुध के मास्टर जनरल (एमजीओ) द्वारा 398 ओवरहाल किए गए बीएमपी तथा 179 टैंक-72 के लिए विचलन संस्वीकृति प्रदान की गई थी। यह क्रिटिकल पुर्जों एवं एसेम्बलियों की अनुपलब्धता की वजह से आवश्यक हो गया था। विहजन यंत्र, संचार सेट, ट्रकों इत्यादी के लिए विचलन प्रदान किए गए जिसने बीएमपी एवं टैंक टी-72 के निष्पादन को प्रभावित किया।

(पैरा 4.2)

3. मुख्य सिफारिशें

1. सेना में श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल की पॉलिसी की गैर-मौजूदगी में, इन वाहनों का ओवरहाल प्रत्येक की स्थिति के आधार पर वर्कशॉप द्वारा किया जाता है। मंत्रालय इन श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल के लिए पॉलिसी को सूत्रबद्ध करे।
2. चूंकि 2020-21 से एमबीटी अर्जुन ओवरहाल के लिए देय है, मंत्रालय को एमबीटी अर्जुन के घटकों के स्वदेशी विकास तथा मरम्मत और ओवरहाल सुविधाओं के बारे में गौर करना चाहिए और उसमें तेज़ी भी लानी चाहिए।
3. चूंकि, वर्कशॉप द्वारा ओवरहाल किए गए टी-72 तथा बीएमपी टैंकों की कुछ विशिष्ट टेस्ट जैसे प्रूफ फायरिंग तथा डिप टेस्टिंग किए बिना ही उपकरण युनिटों को निर्गत करने का गंभीर प्रभाव इसकी सामरिक तथा गुणवत्ता पर पड़ता है, इसलिए संबंधित वर्कशॉप में इन टेस्ट सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। सेना मुख्यालय को 512 एबीडब्ल्यू में शूटिंग गैलरी के प्रचालन एवं ओवरहाल किए गए गन की टेस्ट फायरिंग के लिए गोलाबारूद के आवश्यक प्राधिकरण में शीघ्रता लानी चाहिए।
4. टी-90 टैंकों की मरम्मत सुविधा को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय को घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) परियोजना में शीघ्रता लाना चाहिए।
5. दृष्टि संयंत्रों का ओवरहाल अब ऑप्टो-इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी(ओएलएफ), देहरादून में किया जा रहा है क्योंकि, बीएमपी के दृष्टि संयंत्रों के संपूर्ण आवश्यक घटकों के ओवरहाल की जिम्मेवारी को उन्होंने स्वीकार किया है। इस विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय 512 एबीडब्ल्यू में अतिरिक्त

सुविधाओं की स्थापना हेतु ट्यूलिप परियोजना की व्याप्ति तथा क्रियान्वयन का पुनरीक्षण कर सकती है।

6. लागत लेखा पद्धति को वर्कशाप में लागू किया जाए ताकि स्रोतों अर्थात मानवशक्ति, मशीन एवं सामग्रियों आदि के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके तथा ओवरहाल की लागत प्रभावशालिता का आकलन हो सके।
7. पुर्जों की उपलब्धता को बढ़ाने की अत्यावश्यकता के संबंध में, पुर्जों की उपलब्धता में आने वाले अवरोधों को पहचाना जाना चाहिए तथा इन पुर्जों के निर्माण या बाजार/ओएफ द्वारा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। 515 एबीडब्ल्यू में कार्य आदेशों के क्रियान्वयन में विलंब के कारणों का निदान तथा समाधान करने की आवश्यकता है।
8. ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता इन्डेक्स, 2015-16 में कुछ सुधार के उपरांत भी कम था, इसमें और सुधार की आवश्यकता है।

अध्याय I: परिचय

1.0 आर्मी बेस वर्कशॉपों का आदेशपत्र

आर्मी बेस वर्कशॉपों (एबीडब्ल्यू) की स्थापना द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान शस्त्रों, वाहनों एवं उपकरणों की मरम्मत एवं ओवरहाल¹ के लिए हुई थी ताकि, भारतीय सेना को सामरिक तौर पर तैयार रखा जा सके। हर समय भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए, शस्त्रों और उपकरणों के ओवरहाल की योजनाबद्ध तथा एक व्यापक क्रियान्वयन प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए, जो उपकरण पर आयु, प्रयोग के प्रभाव को तटस्थ कर दे तथा शस्त्र प्रणाली/उपकरणों को झिरो आवर, झिरो किलोमीटर² जैसी सामरिक परिस्थिती में पुनः स्थापित कर दे। आठ आर्मी बेस वर्कशॉप हैं, जिनमें से सात उपकरण/शस्त्रों के मरम्मत एवं ओवरहाल के लिए उत्तरदायी है एवं एक वर्कशॉप यथा 515 एबीडब्ल्यू को देशीकरण तथा पुर्जों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। आठ एबीडब्ल्यू के स्थान तथा आदेशपत्र को तालिका-1 दर्शाता है।

तालिका 1: आठ आर्मी बेस वर्कशॉप का स्थान तथा आदेश पत्र

वर्कशॉप	स्थान	आदेश-पत्र
505 एबीडब्ल्यू	दिल्ली	टैंक टी-72 और उसके इंजन, स्केनिया वाहन और उसके इंजन तथा एएम-50 ब्रीजिंग प्रणाली का डिपो स्तर पर मरम्मत करना
506 एबीडब्ल्यू	जबलपुर (मध्यप्रदेश)	छोटे शस्त्रों एवं मोटरों की मरम्मत करना
507 एबीडब्ल्यू	काकीनाडा (पश्चिम बंगाल)	स्कैनिया वाहनों/क्राज वाहनों की मरम्मत करना
508 एबीडब्ल्यू	इलाहाबाद, (उत्तरप्रदेश)	टाट्टा एवं स्कैनिया वाहनों की मरम्मत करना
509 एबीडब्ल्यू	आगरा (उत्तरप्रदेश)	सूचना प्रणाली, रडारों, ऑप्टिकल जिसमें विभिन्न साइटों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और शक्ति उपकरण (जेनेरेटर्स) समाविष्ट हैं, की मरम्मत एवं ओवरहाल करना।
510 एबीडब्ल्यू	मेरठ (उत्तरप्रदेश)	रक्षा वायु के शस्त्र प्रणाली, सैनिक शस्त्र प्रणाली, बन्दूक एवं विशेष वाहनों तथा अभियांत्रिक उपकरण की मरम्मत तथा ओवरहाल करना।
512 एबीडब्ल्यू	खडकी, पुणे (महाराष्ट्र)	आईसीवी वीएमपी II एवं उसके विभिन्न प्रकार, आर्मर्ड रिकवरी वाहन एवं सभी एएफवी इंजिनों की मरम्मत एवं ओवरहाल करना।
515 एबीडब्ल्यू	बैंगलोर (कर्नाटक)	फील्ड आर्मी के लिए पुर्जों का उत्पादन(देशीकरण), सिम्युलेटर्स का उत्पादन तथा वैमानन रोटेबलों का ओवरहाल करना।

1.1 संगठनात्मक संरचना

सेनाध्यक्ष के अधीन कार्यरत आयुध के मास्टर जनरल (एमजीओ), युद्ध तथा शांति के दौरान भारतीय सेना को शस्त्रों, गोला-बारूदों, उपकरणों, वाहनों तथा पुर्जों की सर्वोत्तम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। एमजीओ को, महानिदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग (डीजीईएमई), आयुध सेवा के महानिदेशक (डीजीओएस), उपकरण प्रबंधन के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीईएम) एवं अधिप्राप्ति के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी प्रोक) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। बेस वर्कशॉप ग्रुप (बीडब्ल्यूजी), डीजीईएमई के लिए सहायक के रूप में कार्य करता है तथा आर्मी बेस वर्कशॉपों (एबीडब्ल्यू) पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण करने का कार्य करता है। बीडब्ल्यूजी दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार करने, एबीडब्ल्यू के


¹ओवरहाल - ओवरहाल एक क्रिटिकल प्रकार्य है, जो उपकरण की सुसज्जता तथा उसकी आयु, प्रयोग के प्रभाव पुनः नए रूप में प्रतिस्थापित करना है। इस कार्य को करते हुए उपकरण को पूरा खोला जाता है तथा उसके घिसे हुए/टूटे भागों को बदलकर, मरम्मत कर फिर से बनाया जाता है और उन एसेम्बलीज़ को बदलना जिनकी आयु समाप्त हो गई थी।

²झिरो आवर, झिरो किलोमीटर- ओवरहाल प्रक्रिया के द्वारा शस्त्र पद्धति को नई स्थिति के करीब लाते हुए प्रतिस्थापित करना।

पास मौजूद स्रोतों को प्रयुक्त करने, ओवरहाल किए गए उपकरणों की गुणवत्ता जाँच तथा एबीडब्ल्यू के अंतर्गत मानवशक्ति का आबंटन तथा पुनः वर्गीकरण के लिए जिम्मेवार है।

एमजीओ विविध आंतरिक एजन्सियों अर्थात् डीजीईएमई - भारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्कशॉपों में क्षमताओं को प्रदान करना, डीजीओएस- पुर्जों की उपलब्धता के लिए, डीजी मॅकेनाइज्ड फोर्स तथा अन्य प्रयोक्ता निदेशालय- मरम्मत योग्य³ उपकरण की उपलब्धता के लिए तथा बाह्य एजन्सियाँ अर्थात् आयुध फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा पीएसयू तथा अन्य पीएसयू-भारतीय सेना के उपकरणों की फ्लीट तथा शस्त्रों के ओवरहाल तथा रखरखाव के लिए नियत लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पुर्जों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत प्रकार्यों के जरिए कार्य करता है। ओवरहाल में शामिल एजन्सियों तथा उनकी जिम्मेवारियों को विस्तृत रूप से चार्ट-1 में दिया गया है।

चार्ट 1: सेना के उपकरण तथा शस्त्रों के ओवरहाल में शामिल एजन्सियाँ



1.2 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं मंत्रालय की प्रतिक्रिया

1992 की प्रतिवेदन संख्या 14 में आर्मी बेस वर्कशॉप के पुनरीक्षण की चर्चा की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया जिसमें, मरम्मत तकनीकों के प्रगतिशील उन्नयन व एबीडब्ल्यू में स्वचलन के बावजूद मात्र मानवशक्ति के संदर्भ में वर्कशाप की क्षमताओं को निर्धारित करना तथा मरम्मत योग्य उपकरणों के उपलब्ध न होने तथा पुर्जों के खराब बैकअप के कारण उपलब्ध क्षमताओं को पूर्णतः प्रयोग में नहीं लाया जा सकना इत्यादि बातों का समावेश था।

मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई की गई टिप्पणी (अगस्त 2000) में बताया कि, वर्कशॉप देशज तथा आयातीत उपकरण से सरोकार रखते हैं और चूँकि देशज उपकरण के विषय में पुर्जों की उपलब्धता बेहतर थी, एबीडब्ल्यू में मानव शक्ति तथा उपकरण की उपयोगिता, जो देशज उपकरण से संबंध रखती है, वह अधिक

³मरम्मत योग्य- उपकरण, जो एबीडब्ल्यू में ओवरहाल प्रकार्य के लिए देय है। यह कार्य फीडिंग डिपो से ओवरहाल के लिए देय उपकरण को प्राप्त होने के बाद ही शुरू होता है।

देखी गई। मानक श्रम घंटों के आधार पर वर्कशाप के कार्य करने की क्षमताओं का आकलन करने के बारे में यह बताया गया कि, यह एक मानक पद्धति है।

2005 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 अनुच्छेद संख्या 3.1 के तहत एबीडब्लू के कार्यचालन का फिर से पुनरीक्षण एवं टिप्पणी की गई थी। इस प्रतिवेदन में ओवरहाल के लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यधिक खराब प्रदर्शन, क्षमता की उपयोगिता को बढ़ा चढ़ा कर कहना, पुर्जों की अनुपलब्धता, ओवरहाल में विलम्बन, मानवशक्ति का खाली होना तथा ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में हुई देरी इत्यादि बातों को अंकित किया गया था। अपनी की गई कार्रवाई की टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2006) कि, पुर्जों के प्रबन्धन के लिए, कई सारे कदम जैसे कि पुर्जों की तिमाही समीक्षा बैठक को आयोजित करना, लक्ष्य निर्धारण तथा मध्यावधि समीक्षा बैठक, ओवरहाल के वादों की मॉनिटरिंग तथा आयुध शाखा से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए एक विशेष कार्य दलके गठन आदि लिए जाएंगे।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

ओवरहाल की समयबद्धता, आधारभूत संरचना की पर्याप्तता, पुर्जों को समय पर उपलब्ध करवाना तथा मरम्मत की गुणवत्ता के संबंध में वर्कशापों की प्रभावशालिता का आकलन करने के लिए 'आर्मी बेस वर्कशापों के कार्यचालन' को निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लिया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा के पूर्व पुनरीक्षणों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों में दिए गए आश्वासनों की स्थिति को भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा ने देखा। विशिष्ट रूप से लेखापरीक्षा ने यह पुनरीक्षण किया :

- क्या आर्मी बेस वर्कशॉप अपने कर्तव्यों को मितव्ययी, कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता से निभा सकी थी ?
- क्या आर्मी बेस वर्कशॉप में उपलब्ध आधारभूत संरचना पर्याप्त थी और क्या उनका समयानुसार आधुनिकीकरण किया गया था?
- ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों को क्या भंडारों द्वारा समय पर प्रावधान करवाया गया और क्या आपूर्ति एजन्सियों से इसकी प्राप्ति समय पर होती थी?
- क्या ओवरहाल किए गए उपकरण स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते थे?

1.4 लेखापरीक्षा के मापदंड

निष्पादन मूल्यांकन के लिए लेखापरीक्षा मापदंड को निम्नांकित से लिया गया:

- आर्मी बेस वर्कशापों की प्रक्रिया।
- सेना मुख्यालयों में एमजीओ शाखा द्वारा तैयार किए गए पंच वर्षीय मरम्मत कार्यक्रम।
- सेना में शामिल किए गए उपकरण का प्रवेश स्वरूप तथा ओवरहाल चक्र ।
- डीजीईएमई, डीजीओएस, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, मानक परिचलन प्रक्रिया (एसओपी) तथा पत्र।
- 1992 की रिपोर्ट संख्या 14 तथा 2005 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 06 के पैरा 3.1 पर की गई कार्रवाई टिप्पणी ।
- विशेष प्रावधान समीक्षा निर्देश, तकनीकी अनुदेश तथा पुर्जों का प्रावधान करने के लिए डीजीओएस द्वारा तैयार की गई जारी करने की पद्धति।
- उपकरण के ओवरहाल के लिए डीजीईएमई द्वारा पुर्जों के लिए तैयार किए गए ओवरहाल मापन।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2010-2011 से 2015-2016 तक के छह वर्षों की अवधि को आवरित किया। यह लेखापरीक्षा नई दिल्ली में एमजीओ, डीजीईएमई एवं डीजीओएस तथा मेरठ में बीडब्ल्यूजी मुख्यालय में की

गई थी। आठ में से पाँच आर्मी बेस वर्कशापों अर्थात् 505 एबीडब्ल्यू, नई दिल्ली, 509 एबीडब्ल्यू, आगरा, 510 एबीडब्ल्यू, मेरठ, 512 एबीडब्ल्यू, किरकी जो कि, भारतीय सेना के उपकरण की क्रिटिकैलिटी पर आधारित थी तथा 515 एबीडब्ल्यू, बंगलुरु जो कि, पुर्जों के निर्मिति का एक मात्र वर्कशाप था, को लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया। फीडिंग आयुध डिपो (ओडी) अर्थात् सीएएफवीडी किरकी, सीओडी, दिल्ली तथा देहरोड जो कि, संबंधित एबीडब्ल्यू को मरम्मतिय उपकरण तथा पुर्जों की आपूर्ति के लिए और एबीडब्ल्यू से ओवरहाल किए गए उपकरण को एकत्रित करने तथा उसे डीजीओएस के जारी करने के आदेशों के अनुसार युनिटों को जारी करने के लिए जिम्मेवार है, की भी लेखापरीक्षा की गई थी। ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रयोक्ता की प्रतिक्रिया के लिए इन्फन्ट्री कॉम्बैट वाहन (आयसीवी) की तीन⁴ रेजिमेंटों तथा टैंक टी-72 के दो⁵ ब्रिगेडों का लेखापरीक्षा ने निरीक्षण किया।

1.6 लेखापरीक्षा की कार्यविधि

रक्षा मंत्रालय के साथ 14 जुलाई 2015 को एन्ट्री कॉन्फरेन्स संपन्न हुई। इसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि की चर्चा हुई एवं मापदंडों को स्वीकारा गया। लेखापरीक्षा मापदंडों के द्वारा निष्पादन के मूल्यांकन के लिए चयनित एबीडब्ल्यू एवं आयुध डिपो में जुलाई 2015 से जनवरी 2016 के दौरान विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच की गई। फील्ड लेखापरीक्षा में, रिकार्डों का निरीक्षण, जारी किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों व उनके उत्तर तथा प्रश्नावलियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के संकलन समाविष्ट है। एमजीओ की अध्यक्षता में 11 नवम्बर 2016 को एग्जिट कॉन्फरेन्स संपन्न हुई जिसमें रिपोर्ट में आने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

एमजीओ द्वारा भेजे गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के जवाबों को ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करते समय विचार में लिया गया था। मंत्रालय से उत्तर अभी प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को तीन अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है-

(i) आर्मी बेस वर्कशाप की प्रभावकारिता (ii) आधारभूत संरचना एवं आधुनिकीकरण (iii) पुर्जों का प्रबंधन

1.8 आभार

हम एमजीओ, डीजीईएमई, डीजीओएस, वीडब्ल्यूजी मुख्यालय, आर्मी बेस वर्कशाप, केन्द्रीय आयुध डिपो तथा डीजीएमएफ के तहत प्रयोक्ता युनिटों के अधिकारियों तथा स्टाफ के सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं।

⁴मैकनाइज्ड इन्फन्ट्री रेजिमेन्ट- i) 11 मैक. इन्फ रेजिमेन्ट, ii) 20 मैक. इन्फ रेजिमेन्ट और iii) 6 गार्ड्स

⁵आर्मर्ड रेजिमेन्ट- i) 16(स्वतंत्र) आर्मर्ड ब्रिगेड और ii) 3(स्वतंत्र) ब्रिगेड

अध्याय II: आर्मी बेस वर्कशॉपों की प्रभावकारिता

2.0 ओवरहाल का महत्व

भारतीय सेना के पास शस्त्र प्रणाली तथा उपकरण की बृहत इन्वन्टरी है जिसे युद्धकालीन परिस्थिति के लिए बनाए रखना आवश्यक है। उपकरण का ओवरहाल करने का निर्णय, उस उपकरण को भारतीय सेना में सम्मिलित करते समय बनायी गई उपकरण प्रबंधन नीति विवरण (ईएमपीएस), जिसमें उपकरण के जीवन चक्र की परिकल्पना की गई है और उसमें, दर्शायी गई अनुरक्षण फिलॉसॉफी के आधार पर तय किया जाता है। एबीडब्ल्यू के द्वारा किए जाने वाले ओवरहाल के लक्ष्य एमजीओं द्वारा तय किए जाते हैं, जो विविध घटकों के संयोजन जैसे कि, ईएमपीएस में वर्णित उपकरणों के ओवरहाल का नियतकाल तथा परिस्थिति, ओवरहाल का बँकलॉग, एबीडब्ल्यू की क्षमता तथा डीजीओएस के द्वारा पुर्जों की आपूर्ति तथा पुर्जों की विविध आपूर्तिकर्ता एजन्सियों पर निर्भर करते हैं।

2.1 उपकरणों की रूपरेखा

भारतीय सेना अपनी सूची श्रेणी “ए” में 23 वाहनों को धारण किए हुए है जिसमें आर्मर्ड फाइटिंग वाहन (एएफवी), इन्फन्ट्री कॉम्बैट वाहन (आयसीवी), आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी), गन तथा बर्फ पर चलने वाले वाहन शामिल हैं। सभी सहायक वाहनों को श्रेणी “बी” उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। युद्ध सदृश्य परिस्थिति तथा वाहनों की महत्वपूर्ण विशेषताएँ तथा क्रिटिकॉलिटी को विचार में रखते हुए तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित वर्कशॉपों के आधार पर निम्नलिखित एएफवी/आयसीवी तथा एआरवी को, उनके ओवरहाल एजन्सियों सहित लेखापरीक्षा में आवरित किया गया है जैसा कि नीचे तालिका-2 में निर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 2: चयनित श्रेणी ‘ए’ उपकरणों की विशिष्टताएँ तथा उनका ओवरहाल करने वाली एजन्सी

उपकरण	शामिल होने का वर्ष	मुख्य विशेषताएँ	ओवरहाल करने वाली एजन्सी
टैंक टी-90	2002	आर्मर्ड कॉम्पस का यह मुख्य टैंक है।	2018 से ओवरहाल के लिए देय है, परन्तु ओवरहाल एजन्सी का तय किया जाना अभी शेष है। सिर्फ 505 एबीडब्ल्यू में घटक स्तरीय रिपेयर ⁶ करना तय हो पाया।
एमबीटी अर्जुन	2004	एक स्वदेशी बनावट का टैंक है जिसमें 120 मीमी राईफ्ल्ड बोर गन होती है। एनबीसी युद्ध परिदृश्य में यह महत्वपूर्ण होता है।	वर्ष 2020 से ओवरहाल के लिए देय है, परन्तु ओवरहाल एजन्सी का तय किया जाना अभी शेष है।
टैंक टी-72	1979	यह सेना का मुख्य टैंक है जो 780 एचपी सुपर चार्ज इंजिन तथा 125 मीमी स्मूथ बोर गन से युक्त है।	505 एबीडब्ल्यू तथा भारी वाहन फॅक्टरी (एचवीएफ), आवडी
बीएमपी-II	1985	यह एक उभयचर क्षमताओं तथा उच्च डिग्री से दौड़ने वाला इन्फन्ट्री लडाकू वाहन है तथा इन्फन्ट्री सैनिकों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।	512 एबीडब्ल्यू तथा आयुध फॅक्टरी, मेडक(ओएफएम)
एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3	1999	टैंक टी-72 तथा टी-90 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	512 एबीडब्ल्यू में सुविधा का निर्माण करने के लिए परामर्श अनुबंध समाप्त किया गया।
एआरवी वीटी-72बी	1994	टैंक टी-72 तथा टी-90 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	
एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2	1981	टैंक टी-55 और उनके विविध प्रकार के लिए यह एक आर्मर्ड रिकवरी वाहन (एआरवी) है।	512 एबीडब्ल्यू

⁶घटक स्तरीय मरम्मत- को इस एमयूए (मेजर युनिट एसेम्बली) पूल की सुविधा में तब तक बनाए रखा जाएगा, जब तक वह खराब न हो जाए। इस सुविधा को कॉम्पस झोन वर्कशॉप में स्थापित किया जाएगा ताकि, मरम्मत कार्य फारवर्ड एरिया में किया जा सके और टैंको को अल्पावधि में पुनः सुस्थिति में सड़कों पर उतारा जा सके। प्रस्तावित “घटक स्तरीय मरम्मत सुविधा” का उपयोग करते हुए खराब हुए एमयूए की मरम्मत की जाएगी तथा उसे वापस पूल को भेज दिया जाता है। इससे मिशन सुसज्जता तथा विश्वसनीयता के दौरान टैंक को समर्थ बनाए रखने में सहायता मिलती है।

2.2 अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंड

रक्षा मंत्रालय ने 30 वर्षों की परिकल्पित सेवा आयु के आधार पर अनुरक्षण फिलॉसॉफी को (अप्रैल 1987) प्रकाशित किया, जो कि, एएफवी, आयसीवी तथा एआरवी के लिए है। सेवारत सभी एएफवी, आयसीवी तथा एआरवी के साथ-साथ भविष्य में शामिल होने वाले वाहनों पर भी यह लागू होगा। सेना मुख्यालय द्वारा इन मानदंडों को दिसंबर 2003 तथा बाद में फरवरी 2014 में संशोधित किया गया जैसा कि नीचे तालिका-3 में दर्शाया गया है:-

तालिका 3 : श्रेणी 'अ' वाहनों के रख-रखाव के लिए मध्यस्थता अवधि:

रख-रखाव के लिए मध्यस्थता	2003 की पॉलिसी के अनुसार अवधि काल (जो भी पहले हो)		2014 की पॉलिसी के अनुसार अवधि काल (जो भी पहले हो)	
	मीडियम रिपेयर (एम आर-1)	8-10 साल	2000-2500 किमी	10 साल
ओवरहाल (ओ एच-1)	15-16 साल	2500-4000 किमी	16 साल	3700 किमी
मीडियम मरम्मत (एम आर-2)	21-22 साल	5250-5000 किमी	23 साल	5400 किमी
ओवरहाल (ओ एच-2)	---	-----	29 साल@	6700 किमी
मीडियम मरम्मत (एम आर-3)	26-27 साल	6500-6750 किमी	35 साल#	7900 किमी

@ 35 वर्षों से अधिक सेवा करने वाले उपकरण के लिए तथा शेष उपकरण एमआर के लिए जाएँगे और 35 वर्षों के पश्चात् इन्हें हटाया जाता है।
मात्र ओएच-2 उपकरण के लिए तथा जिनकी सेवा 40 वर्षों तक या उससे अधिक हुई है।

इसी प्रकार, श्रेणी 'बी' उपकरण अर्थात् रडारों तथा डीजी सेटों के शामिल होने की तिथि से दस वर्षों के पश्चात् ओवरहाल किया जाना आवश्यक होता है। दूसरा ओवरहाल पहले ओवरहाल के सात वर्षों के पश्चात् किया जाना चाहिए। युद्ध भूमि निगरानी रडार (बीएफएसआर) के मामले में, पहला ओवरहाल सात वर्षों के पश्चात् किया जाना चाहिए।

2.2.1 रख-रखाव प्रक्रिया

विद्यमान पद्धति के अनुसार, शुरुआती दौर में ही किसी विशिष्ट उपकरणों के ओवरहाल के लिए एबीडब्ल्यू का नामांकन किया जाता है ताकि दीर्घकालीन पूर्वानुमान तथा योजना बनाई जा सके। प्रत्येक वर्ष, ओवरहाल लक्ष्य निर्धारण बैठक के दौरान, वर्तमान उत्पादन वर्ष के लक्ष्यों का पुनरीक्षण तथा अगले साल का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और अगले तीन सालों के लिए अनुमानित योजना की जाती है। एबीडब्ल्यू, डीजीओएस, ओएफबी एवं डीपीएसयू द्वारा प्राप्त सूचनाएँ लक्ष्यों के संशोधन का आधार होती है। सेना मुख्यालय द्वारा मरम्मत कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही एबीडब्ल्यू में ओवरहाल प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सभी आपूर्ति एजन्सियों को इन लक्ष्यों की सूचना दी जाती है ताकि समय पर पुर्जों की निर्मिती, प्रावधान तथा उसकी आपूर्ति की जा सके। ओवरहाल कार्यक्रम की प्राप्ति के पश्चात्, वर्कशॉप फीडिंग डिपो से मरम्मत योग्य वाहनों तथा पुर्जों की नोटिस के जरिए माँग करते हैं।

2.3 श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बॅकलॉग

हमने देखा कि, श्रेणी 'ए' के उपकरण के ओवरहाल हेतु अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों को जिस तरह से कार्यान्वित किए गए, जिसकी परिणति श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में दीर्घ विलंब तथा बॅकलॉग में हुई जैसा कि नीचे तालिका-4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4: श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

उपकरण	बीएमपी-II तथा II के#				एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2				टैंक टी-72#			
	ए ⁷	बी ⁸	सी ⁹	डी ¹⁰	ए	बी	सी	डी	ए	बी	सी	डी
2010-11	2240	949	72	877	222	222	00	222	2418	811	98	713
2011-12	2329	928	124	804	222	222	02	220	2418	793	83	710
2012-13	2368	912	72	840	222	220	02	218	2418	789	126	663
2013-14	2412	939	121	818	222	218	02	216	2418	727	140	587
2014-15	2412	980	145	835	222	216	03	213	2418	664	160	504
2015-16	2412	892	90	802	222	213	13	200	2418	612	133	479

ओवरहाल किए गए बीएमपी में ओएफ, मेडक द्वारा ओवरहाल किए गए बीएमपी भी शामिल है तथा ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 में हेवी वाहन फक्टरी, आवडी द्वारा ओवरहाल किए गए टैंक शामिल है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, औसतन, 2010-11 से 2015-16 के दौरान बीएमपी की कुल फ्लीट का 35 प्रतिशत ओवरहाल के लिए देय थे, जिससे सामरिक प्रकार्यों के लिए फ्लीट की प्रभावी उपलब्धता घट गई। चूँकि इस अवधि के दौरान 512 एबीडब्ल्यू तथा ओएफ, मेडक ने एक साथ मिलकर वर्षभर में औसतन 104 बीएमपी का ही ओवरहाल किया था। इसके कारण, बँकलॉग की समाप्ति की संभावना तथा संपूर्ण फ्लीट को प्रचालित करने की गुंजाईश आगामी भविष्य में दिखाई नहीं देती।

एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2 के मामले में, जहाँ 2010 में संपूर्ण फ्लीट ओवरहाल के लिए देय था, 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान कुल फ्लीट के 22 (10 प्रतिशत) उपकरण का ही ओवरहाल किया गया। बाकी 168 उपकरण सीएएफवीडी, किरकी तथा 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल के लिए श्रेणी V (ऑफ-रोड) की स्थिति में प्रतीक्षित रहे।

यद्यपि टैंक टी-72 के ओवरहाल का बँकलॉग 2010-11 में 713 से 2015-16 में 479 टैंकों तक घट गया, फिर भी यह उच्चतर था जो कि कुल संख्या के 20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जब कि, टैंक टी-72 भारतीय सेना का एक मुख्य युद्ध टैंक है।

2.3.1 महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

हमने देखा कि, सिग्नल उपकरण के अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों के अपालन तथा दीर्घ विलंबन के परिणामस्वरूप ओवरहाल में बँकलॉग की निर्मिती हुई जिसे नीचे तालिका-5 में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

तालिका 5 : महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलॉग

उपकरण	शामिल किए जाने के वर्ष	कुल धारित संख्या	ओवरहाल के लिए कुल देय	31.03.2016 तक ओवरहाल किए गए उपकरण			पहले तथा दूसरे ओवरहाल का बँकलॉग
				पहला ओवरहाल	दूसरा ओवरहाल	कुल ओवरहाल	
रडार फ्लाय कॅचर	1987 से 2008	215	पहला ओएच-168 दूसरा ओएच-77	138	58	196	पहला ओएच-30 दूसरा ओएच-19
रडार टीसी रिपोर्टर	1996 से 2005	92	पहला ओएच-74 दूसरा ओएच-00	49	00	49	पहला ओएच- 25 दूसरा ओएच-00
युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (बीएफ एसआर) मध्यम रेंज	2001 से 2013	252	पहला ओएच-201	159	00	159	पहला ओएच- 42
19 केवीए डीजी सेट	एबीडब्ल्यू में रिकार्ड उपलब्ध नहीं	307	पहला ओएच-242 दूसरा ओएच-77	187	58	245	पहला ओएच- 55 दूसरा ओएच-19

7 ए- कुल संख्या

8बी- प्रत्येक वर्ष मार्च को ओवरहाल के लिए उपकरण देय जिसमें पिछले वर्षों के बँकलाग भी शामिल हैं।

9सी- वर्ष के दौरान किए गए ओवरहाल

10डी- बँकलाग

हमने रडार फ्लाय कैचर के पहले ओवरहाल में 18 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर में 34 प्रतिशत और युद्ध मैदान निगरानी रडार में 21 प्रतिशत का बॅकलॉग पाया।

जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बॅकलॉग, अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन और प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों में कमी तथा ओवरहाल में विलंब के कारण हुई। इसका सामरिक सुसज्जता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चयनित प्रत्येक एबीडब्ल्यू के निष्पादन की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

2.4 505 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), नई दिल्ली

505 एबीडब्ल्यू टैंक टी-72 सहित उसके इंजिनों, स्कॅनिया वाहनों, एएम-50 ब्रिजिंग सिस्टम के ओवरहाल का कार्य करता है। 505 एबीडब्ल्यू मरम्मतीय वाहनों को केंद्रीय वाहन डिपो (सीवीडी), दिल्ली से प्राप्त करता है तथा ओवरहाल किए गए वाहनों को उसे हस्तांतरित करता है। केंद्रीय वाहन डिपो (सीवीडी), दिल्ली 505 एबीडब्ल्यू के लिए फीडिंग डिपो के रूप में मनोनित किया गया है।

2.4.1 ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मिड-टर्म पुनरीक्षण बैठकों के कार्यवृत्तों से यह देखा गया कि, प्रति वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया गया था। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य के ब्योरे नीचे तालिका-6 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 6: 505 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल लक्ष्यों का हासिल न करना

उपकरण→	टैंक टी-72			इंजिन टी-72			कोलोस टाट्रा		
	ओ ¹¹	आर ¹²	ए ¹³	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	50	40	35	50	60	30	शून्य	20	20
2011-12	50	50	10	100	21	07	30	20	06
2012-13	60	50	50	136	80	71	10	10	10
2013-14	50	40	30	100	80	72	10	10	10
2014-15	50	40	40	100	60	60	03	03	03
2015-16	50	50	40	100	100	100	शून्य	शून्य	शून्य

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि टैंक टी-72 के विषय में मूलरूप में आबंटित लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में कमी पायी गई जो कि, 17 से 80 प्रतिशत के बीच रही। टी-72 के इंजिनों के विषय में, यह 0 से 93 प्रतिशत के बीच रही। 505 एबीडब्ल्यू, मीड-टर्म पुनरीक्षण बैठक में निश्चित किए गए मूल लक्ष्य तथा संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त न कर सका।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल में विलंब पूर्णतया पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ जिसकी आपूर्ति ओएफ तथा डीपीएसयू ने करनी थी। एमजीओ का यह दावा विश्वसनीय नहीं है क्योंकि, पुर्जों की उपलब्धता की जिम्मेवारी भी एमजीओ पर आती है, अतः यह लाजमी हो जाता है कि, उत्पादन वर्ष की शुरुआत होने से पहले ओवरहाल मानदंडों के अनुसार प्राधिकृत पुर्जों को पूरी रेंज तथा मात्रा में उपलब्धता उनके द्वारा सुनिश्चित की जाए।

इस लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई क्रिटिकल पुर्जों तथा उत्पादन होल्ड-अप सामग्रियों की अनुपलब्धता, की चर्चा अध्याय- IV के पैरा 4.1.1 में की गई है।

¹¹ 'ओ' - मूल लक्ष्य

¹² 'आर' - संशोधित लक्ष्य

¹³ 'ए' - लक्ष्य प्राप्ति। वर्ष के दौरान किए गए ओवरहालों को उपलब्धि के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है।

2.4.2 ओवरहाल में विलंब

विभिन्न उपकरण के ओवरहाल के प्रभावपूर्ण तथा समर्थ रूप से प्रबंधन के लिए बीडब्ल्यूजी ने विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए थे, जो कार्यकलाप के आवश्यक अधिकतम समय को सूचित करता है। यद्यपि, हमने देखा कि, उत्पादन वर्ष के दौरान लक्ष्य में कटौती के बावजूद, उपकरण के ओवरहाल में असामान्य विलंब था।

विद्यमान मानदंडों के अनुसार, टैंक टी-72 का ओवरहाल 144 दिनों के भीतर पूरा करना आवश्यक है। यद्यपि, हमने देखा कि, टैंक टी-72 को निर्धारित समय सीमा में ओवरहाल नहीं किया जा सका। 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रत्येक टैंक के ओवरहाल के लिए लिया गया वास्तविक समय 144 दिनों के मानदंडों से ज्यादा था और यह विलंब दो से तीन वर्षों के बीच में रहा। नीचे दी गई तालिका-7 पिछले छह वर्षों के दौरान ओवरहाल में विलंब की स्थिति का वर्णन करती है।

तालिका 7: टैंक टी 72 के ओवरहाल में विलंब

वर्ष	ओवरहाल के लिए लिया गया उपकरण (सं.)	किए गए ओवरहाल (सं.)	समय सीमा के भीतर किए गए ओवरहाल	ओवरहाल के लिए लिया गया समय (दिन)		समय सीमा को छोड़कर ओवरहाल के लिए लिया गया समय	
				न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	54	53 ¹⁴	00	378	877	234	733
2011-12	29	29	00	372	980	228	836
2012-13	36	36	00	247	914	103	770
2013-14	15	15	00	456	688	312	544
2014-15	40	40	00	356	577	212	433
2015-16	50	40	00	212	408	68	264

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल में विलंब मात्र पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ। एमजीओ का यह दावा युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि, पुर्जों की उपलब्धता की जिम्मेवारी भी एमजीओ की ही है।

2.4.3 ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 को युनिटों को जारी करने में विलंब

ओवरहाल कार्य पूरा होने पर, ओवरहाल किए गए उपकरणों को फीडिंग डिपो द्वारा ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात्, डीजीओएस, एमजीओ शाखा, लाइन डायरेक्टोरेट (प्रयोक्ता) तथा एमआयएसओ (प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन) से परामर्श करने के पश्चात् संबंधित फील्ड युनिटों को ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी करने हेतु, फीडिंग डिपो को निर्गत आदेश जारी करता है।

ओवरहालमें गुणवत्ता सुधार हेतु नीति के अनुसार, वर्कशॉपों द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरणों को सात दिनों के भीतर डिपो को सौंपा जाना आवश्यक होता है। ओवरहाल किए गए उपकरण मिलने पर, डिपो उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में डीजीओएस को निर्गत आदेश को जारी करने हेतु सूचित करते हैं। हमने देखा कि, अधिकतर मामलों में, एबीडब्ल्यू ने ओवरहाल किए गए उपकरणों के लिए रखी गई समयबद्धता का पालन किया था। यद्यपि, एबीडब्ल्यू की कार्य क्षमता को, आयुध डिपो द्वारा उपकरण को निर्गत करने तथा प्रेषण करने में विलंबों के कारण निष्फल कर दिया गया।

हमने देखा कि, डीजीओएस द्वारा उपकरण को निर्गत करने तथा डिपो द्वारा युनिटों को उपकरणों का समय साँचे के अंदर प्रेषण करने के संबंध में कोई भी हेतुमानक ऑपरेटिंग पद्धति (एसओपी) को नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, सेना मुख्यालय द्वारा निर्मुक्त आदेशों (आरओ) को जारी करने में सुसंगति नहीं पाई

¹⁴ एक टी-72 टक को बियाँड इकोनॉमिक रिपेअर (बीईआर) घोषित किया गया।

गई। कुछ मामलों में, निर्मुक्त आदेशों को ओवरहाल के पूरे होने के पहले ही जारी किया गया था जबकि, अन्य मामलों में आरओ को जारी करने में एक वर्ष से अधिक समय का विलंब हुआ।

अ. निर्मुक्त आदेश (आरओ) को जारी करने में विलंब

हमने देखा कि, ओवरहाल किए गए 181 टैंकों में से, केवल पाँच मामलों में ही सीवीडी द्वारा टैंकों के प्राप्त करने से पहले आरओ को जारी किया गया था। 131 मामलों में दो महीनों के भीतर आरओ को जारी किया गया था तथा 31 मामलों में यह दो महीनों से एक वर्ष के बीच रहा। 2011-12 में ओवरहाल किए गए टैंकों के दो मामलों में आरओ को अभी भी जारी किया जाना शेष है। इनके व्योरे नीचे तालिका-8 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 8: ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 के विषय में आरओ के जारी करने में विलंब

वर्ष	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 की संख्या	सेना मुख्यालय द्वारा Issue Orders floated by AHQ					
		ग्रहण करने से पूर्व की स्थिति	0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन तथा ऊपर
2010-11	17	00	01	08	02	06	00
2011-12	33@	02	26	03	00	00	00
2012-13	35	02	26	04	02	01	00
2013-14	28	01	23	04	00	00	00
2014-15	28	00	28	00	00	00	00
2015-16	40@	00	27	01	00	00	00
कुल	181	5	131	20	4	7	0

@ वर्ष 2011-12 के दो मामलों में तथा वर्ष 2015-16 के 12 मामलों में निर्गत आदेश जारी नहीं किए गए थे (मार्च 2016)।

तथ्यों के विपरीत, उत्तर में, एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि, निर्मुक्त आदेशों की शुरुआत करने में उनकी ओर से कोई विलंब नहीं हुआ था। यह कार्य दो सप्ताहों के भीतर कर दिया गया था।

ब. प्रेषण में विलंब

सीवीडी, दिल्ली छावनी द्वारा प्राप्त किए गए 181 ओवरहाल टैंकों में से, 23 टैंको को अभी भी युनिटों को जारी किया जाना बाकी था तथा 78 टैंकों के संबंध में, जारी करने में विलंब दो से 24 महीनों के बीच पाया गया जैसा कि, नीचे तालिका -9 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 9: सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए हुए टैंक टी-72 के प्रेषण में लिया गया समय

वर्ष	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 की संख्या	सीवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल टैंक टी-72 को प्रेषित करने के लिए लिया गया समय						
		2 महीनों तक	2 से 4 महीने	4 से 6 महीने	6 से 12 महीने	12 से 24 महीने	24 महीने और ऊपर	अभी भी जारी नहीं किए गए
2010-11	17	13	01	00	03	00	00	
2011-12	33	19	04	03	01	04	00	2
2012-13	35	21	03	07	00	03	01	-
2013-14	28	07	01	04	07	04	05	-
2014-15	28	11	06	05	02	02	01	1
2015-16	40	09	03	04	02	01	01	20
कुल	181	80	18	23	15	14	8	23

2.4.4 ओवरहाल किए गए उपकरण तथा इंजिनों का गुणवत्ता इन्डेक्स

सेना उपकरण के ओवरहाल का लक्ष्य, उसकी आयु, प्रयोग तथा तैनाती की वजह से हुए परिणामों को हटाते हुए उसे सुसज्जित तथा पुनःस्थापित करना है। डीजीईएमई के तहत कार्य करने वाली तकनीकी गुप ईएमई (टीजीईएमई) ने ओवरहाल किए गए उपकरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए पद्धति का (अगस्त 1994) सुझाव दिया था। इस पद्धति में एबीडब्ल्यू के निरीक्षण स्टाफ द्वारा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण, क्रिटिकल

स्तरों तथा उपकरण के पूरी तरह से ओवरहाल किए जाने के पश्चात निवासी निरीक्षकों (आरआई) द्वारा अंतिम निरीक्षण आवश्यक बताया गया है।

बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने (अगस्त 2004), ओवरहाल किए गए उपकरणों, इंजिनों तथा मुख्य ऐसम्बलियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ओवरहाल किए गए उपकरण के गुणवत्ता इन्डेक्स (क्यूआई) के मापन हेतु तकनीकी निर्देश भी जारी किए थे। क्यूआई एक निष्पादन सूचक है जो, ओवरहाल किए गए उपकरण को निर्माणकर्ताओं द्वारा रखे गए विशिष्टताओं के सम्मुख उसकी गुणवत्ता निष्पादन को मूल्यांकित करता है। यदि बीडब्ल्यूजी के गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ द्वारा अंतिम जाँच के दौरान उपकरण त्रुटिपूर्ण पाया गया तो क्यूआई न्यूनतम होगा।

दिशा निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल किए गए टैंक टी 72 के लिए क्यूआई 95 होना चाहिए। हमने देखा कि, हासिल क्यूआई तकनीकी अनुदेशों में निर्धारित सीमा से बहुत ही कम था तथा इसके बावजूद भी उपकरण डिपों को जारी किए गए थे। टैंक टी-72 के विषय में प्राप्त किए गए गुणवत्ता इन्डेक्स को नीचे तालिका-10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10: ओवरहाल किए गए टैंक टी 72 का गुणवत्ता इन्डेक्स

वर्ष	टैंक टी-72	
	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	87.8	91.98
2011-12	86.51	92.44
2012-13	84.73	91.93
2013-14	90.3	92.20
2014-15	83.80	92.13
2015-16	87.25	92.2

एमजीओ ने अपने उत्तर में यह माना कि, लक्षित गुणवत्ता इन्डेक्स को पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हासिल नहीं किया जा सका तथा अनुपलब्धता को पूरा करने के लिए पुर्जों का उद्धार तथा स्वतः उत्पादन किया गया। यह उत्तर इस तथ्य का सांकेतिक है कि ओवरहाल के उद्देश्य 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर' स्थिति को हासिल नहीं किया जा सका।

2.4.5 परीक्षण बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी किया जाना

हमने देखा कि, कुछ विशिष्ट परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, ओवरहाल किए गए उपकरण को परीक्षण किए बगैर ही युनिटों को जारी किया गया जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

i ओवरहाल किए गए उपकरण को बिना टेस्ट फायरिंग के जारी करना

एबीडब्ल्यू में टैंक टी-72 की टेस्ट फायरिंग सुविधा का अभाव पाया गया। तथापि, एमजीओ ने बिना परीक्षण किए टैंकों को भेजने के लिए इस शर्त पर विशेष संस्वीकृति प्रदान की, कि यह परीक्षण प्रभावित युनिटों द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक फायरिंग के समय किया जाएगा।

ii विशेष मशीनी औजार (एसएमटी), विशेष जाँच उपकरण (एसटीई) तथा औजारों/जिग्स का अत्यधिक अभाव

हमने देखा कि, विशेष मशीनी औजारों/विशेष जाँच उपकरण/औजारों जिग्स जैसे कि, युनिवर्सल गन पुल बैंक ऐपरेटस, टी-72 के गन पोर्शन की गुणवत्ता जाँच (क्यूसी) के लिए आवश्यक कम्पोजिट रिंग, टी-72 के ऑटो पोर्शन की गुणवत्ता जाँच करने के लिए मल्टिपर्पज्ज स्लिंग संयंत्र, गियर बाक्स के चढ़ान तथा उतारने के लिए आय बोल्ट और ट्रैक्स को बिना निकाले चक्कों के लगाने तथा हटाने के लिए गार्ड डिस्क इत्यादि का एबीडब्ल्यू में अभाव था। महत्वपूर्ण एसएमटी/एसटीई/टीजे के अभावों के बारे में 2011-12 से बताया गया है।

2.5 512 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), किरकी

512 एबीडब्ल्यू को बीएमपी II तथा उनके विभिन्न प्रकार, एआरवी, तथा बीएमपी (यूटीडी-20 इंजिन) से संबद्ध इंजिनों की मरम्मत तथा ओवरहाल का कार्य सौंपा गया है। एबीडब्ल्यू मरम्मत योग्य वाहनों को सीएएफवीडी से प्राप्त करते हैं तथा ओवरहाल के उपरांत उन्हें वापस भेजे जाते हैं, जो 512 एबीडब्ल्यू के फीडिंग डिपो के रूप में मनोनित है।

2.5.1 ओवरहाल लक्ष्यों को प्राप्त न किया जाना

512 एबीडब्ल्यू भी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मिड-टर्म पुनरीक्षण बैठकों में निश्चित मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के ब्योरे नीचे तालिका -11 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 11: 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

उपकरण→	बीएमपी II/IIके			एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2			यूटीडी- 20 इंजिन		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	120	46	46	10	4	शून्य	150	135	135
2011-12	100	85	85	10	2	2	150	110	110
2012-13	116 + 4 (IIके)	96	85	2	2	2	150	50	41
2013-14	114 + 6 (IIके)	120	102 + 2 (IIके)	2	2	शून्य	150	150	115
2014-15	145 + 5 (IIके)	96 + 9 (IIके)	97 + 9 (IIके)	2	10	03	150	135	147
2015-16	150	150	70	20	13	13	150	150	150

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया है कि, मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्य कम थे। बीएमपी में 13 से 62 प्रतिशत के बीच थे, एआरवीडब्ल्यू डेडटी-2 में 0 से 100 प्रतिशत के बीच थे तथा यूटीडी-20 इंजिनों में 0 से 73 प्रतिशत के बीच थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकारते हुए 512 एबीडब्ल्यू ने कहा (जुलाई 2015) कि, माँग के अनुसार समय पर उपकरण या पुर्जों की आपूर्ति नहीं की गई। इस कारण अनुवर्ती पुनरीक्षण में लक्ष्य घटाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि, कुछ क्रिटिकल पुर्जों/एसेम्बलियों की अनुपलब्धता के कारण ओवरहाल किए गए 110 (आईसी) बीएमपी जिनके लिए विचलन¹⁵ संस्वीकृतियाँ प्रतीक्षित थी, उनके पास रखे हुए थे।

2005 में मंत्रालय द्वारा पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करने के आश्वासन के बावजूद, एबीडब्ल्यू उनके ओवरहाल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पुर्जों को प्राप्त नहीं कर पाया जिसके फलस्वरूप बकलॉग में वृद्धि तथा सामरिक तैयारी प्रभावित हुई। तथापि, जहाँ तक मरम्मतयोग्य उपकरणों की उपलब्धता का संबंध है, हमने देखा कि, 512 एबीडब्ल्यू किसी भी समय निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीएमपी को धारण किए हुए था, इस वजह से मरम्मतीय सामग्री की अनुपलब्धता लक्ष्यों की अप्राप्ति का कारण नहीं हो सकता।

2.5.2 ओवरहाल में विलम्ब

विद्यमान मानदंडों के अनुसार, बीएमपी वाहन के ओवरहाल को 153 दिनों की समय सीमा के भीतर पूरा करना जरूरी है। आदर्श परिस्थितियों में इंजिन के ओवरहाल के लिए, 512 एबीडब्ल्यू ने एक माह की समय सीमा तय की थी।

¹⁵विचलन संस्वीकृतियाँ- विचलन मतलब मानक मानदण्डों से विचलित होना जो कि, विशिष्ट उपकरण के ओवरहाल के लिए निर्धारित किया जाता है अर्थात् योग्य सामग्री परन्तु उपयोगी नहीं हो पाना, सभी जाँचों को नहीं किया जाना, सामग्रियों का पुनः प्राप्ति इत्यादि लाईन निदेशालय से परामर्श करने पर एमजीओ द्वारा यह संस्वीकृतियाँ प्रदान की जाती है।

तथापि हमने देखा कि, बीएमपी तथा इंजिनों का ओवरहाल निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा सका। पुनरीक्षणधीन अवधि के दौरान, बीएमपी के ओवरहाल के लिए लिया गया समय 1512 दिनों के बीच रहा। इस प्रकार ऐसे विलंबन के कारण उपकरण की उपलब्धि ही न सिर्फ हुई, बल्कि रखे जाने के कारण उपकरण की प्रभावपूर्ण आयु (13 प्रतिशत) भी नष्ट हो गई। इसी प्रकार, प्रत्येक युटीडी-20 इंजन जो कि बीएमपी के लिए है के ओवरहाल के लिए लिया गया औसत समय 308 दिनों का था, जो 30 दिनों के अनुबद्ध समय सीमा से 10 गुना ज्यादा था। नीचे दी गई तालिका-12 पिछले छह वर्षों के दौरान ओवरहाल में विलंब की स्थिति का वर्णन करता है।

तालिका 12: ओवरहाल में विलंब

वर्ष	उपकरण	ओएच के लिए लिया गया उपकरण (संख्या)	किया गया ओवरहाल (संख्या)	समय सीमा के भीतर किया गया ओवरहाल	ओवरहाल के लिए लिया गया समय (दिन)		समय सीमा को छोड़कर ओवरहाल के लिए गया समय	
					न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	बीएमपी	73	73	00	243	1512	90	1359
	युटीडी इंजन	130	130	00	167	799	137	769
2011-12	बीएमपी	53	53	00	324	1154	171	1001
	युटीडी इंजन	116	116	00	209	829	179	799
2012-13	बीएमपी	79	79	00	737	962	584	808
	युटीडी इंजन	56	56	00	257	693	227	663
2013-14	बीएमपी	113	113	00	502	618	349	465
	युटीडी इंजन	61	61	00	88	521	58	491
2014-15	बीएमपी	56	36 [#]	00	333	616	180	463
	युटीडी इंजन	78	68	00	406	152	376	122
2015-16	बीएमपी	96	00 [#]	00	-	-	-	-
	युटीडी इंजन	156	66	00	310	74	280	44

वर्ष 2014-15 में ओवरहाल के लिए गए बीस तथा वर्ष 2015-16 में ओवरहाल के लिए गए सभी बीएमपी 31 मार्च 2016 को ओवरहाल के लिए बकाया थे।

एमजीओ ने अपने उत्तर में (मई 2016) बताया कि, समय सीमा का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि, उत्पादन वर्ष की शुरुआत में ही ओवरहाल मानदंडों के अनुसार प्राधिकृत पुर्जे उपलब्ध रहेंगे। ओवरहाल में विलंब पूर्णतया पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हुआ।

2.5.3 ओवरहाल किए गए उपकरणों को युनिटों को जारी करने में विलंब

आरओ के देरी से जारी होने के कारण हुए विलंब तथा सीएफवीडी, किरकी द्वारा देरी से किए गए प्रेषण का विश्लेषण निम्नलिखित है:

(अ) निर्गत आदेशों (आरओ) के जारी करने में विलंब:

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 512 एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल किए गए 499 बीएमपी सीएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए जिनमें से डीजीओएस द्वारा 102 बीएमपी के आरओ जारी करने में विलंब हुआ। यह दो महीनों से लेकर एक वर्ष से अधिक के बीच रहा जिसे नीचे तालिका-13 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 13: ओवरहाल किए हुए बीएमपी के विषय में आरओ को जारी करने में विलंब

वर्ष	सीएफवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी की संख्या	सेना मुख्यालय द्वारा जारी निर्गत आदेश					
		ग्रहण पूर्व स्थिति	0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366 दिन और ऊपर
2010-11	110	47	09	15	19	18	02
2011-12	51	45	-	-	-	-	06

2012-13	54	38	09	02	03	02	-
2013-14	24	09	08	02	-	05	-
2014-15	77	40	35	-	01	01	-
2015-16	183	09	99	16	10	-	-
@							
कुल	499	188	160	35	33	26	08

@ मार्च 2016 तक 49 बीएमपी के संबंध में निर्गत आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया था।

उत्तर में, एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि निर्गत आदेश को जारी करने में उनकी ओर से कोई देरी नहीं हुई। सीएफवीडी किरकी में मौजूद बीएमपी की सूची प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर इसे जारी कर दिया गया था। यह उत्तर इस तथ्य को ओर संकेत करता है कि, यह देरी सीएफवीडी, किरकी के स्तर पर हुई, जो आयुध शाखा का भाग है, और जो एमजीओ के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार डिपो पर डाली गई जिम्मेवारी ठीक नहीं थी।

(ब) प्रेषण में विलंब

डीजीओएस सेना मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों के जारी करने में विलंब के अतिरिक्त सीएफवीडी द्वारा युनिट/फार्मेशन को बीएमपी को भेजने में भी विलंब हुआ, जिसे तालिका-14 में दर्शाया गया है:

तालिका 14 : सीएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए ओवरहाल बीएमपी के प्रेषण में लिया गया समय

वर्ष	सीएफवीडी द्वारा ग्रहण किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी की संख्या	सीएफवीडी द्वारा प्राप्त किए गए ओवरहाल बीएमपी के प्रेषण में लिया गया समय					
		0-60 दिन	61-120 दिन	121-180 दिन	181-365 दिन	366-730 दिन	730 दिनों से अधिक
2010-11	110	06	46	27	29	01	01
2011-12	51	15	08	01	02	22	03
2012-13	54	09	10	10	13	12	-
2013-14	24	-	-	04	-	20	-
2014-15	77	12	40	18	07	-	-
2015-16	183	65	33	03	-	-	-
कुल	499	107	137	63	51	55	04

नोट- मार्च 2016 को 82 बीएमपी अभी भी जारी किए जाने शेष थे

हमने देखा कि, सेना मुख्यालय से आरओ की पावती मिलने के पश्चात भी ओवरहाल बीएमपी प्रेषण के 12 प्रतिशत मामलों में (अर्थात् 417 में से 51) छः महीनों से एक साल तक विलंब तथा 14 प्रतिशत मामलों में (अर्थात् 417 में से 59) एक साल से अधिक (1796 दिनों का अधिकतम विलंब) विलंब हुआ।

2.5.4 ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता

हमने यह भी देखा कि, निष्कृष्ट दर्जे की सामग्रियों तथा खराब कारिगरी के प्रयोग के कारण प्रयोक्ताओं को जारी किए गए ओवरहाल किए गए बीएमपी के गुणवत्ता इन्डेक्स में कमी थी। यहाँ तक कि एबीडब्ल्यू में भी पर्याप्त जाँच सुविधाओं की कमी थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(i) न्यूनतम गुणवत्ता इन्डेक्स

दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल किए गए बीएमपी के लिए क्यूआई 95 होना चाहिए। हमने देखा कि, हासिल किया गया क्यूआई तकनीकी अनुदेशों में निर्धारित सीमा के बहुत नीचे था तथा इस गिरावट के बावजूद भी उपकरण को डिपो को जारी कर दिया गया। बीएमपी के लिए हासिल किए गए गुणवत्ता इन्डेक्स को नीचे तालिका-15 में दर्शाया गया है:

तालिका 15: ओवरहाल किए गए उपकरण का गुणवत्ता इन्डेक्स

वर्ष	बीएमपी	
	न्यूनतम	अधिकतम
2010-11	31.44	65.83
2011-12	60.65	70.04
2012-13	57.10	75.37
2013-14*	-	-
2014-15	58.40	71.84
2015-16	70.28	77.40

*इस अवधि दौरान बीडब्ल्यूजी के क्यूए विंग द्वारा निरीक्षण किया गया था।

हमने देखा कि, कई वर्षों में त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रही तथा बीएमपी के मुख्य सब-सिस्टमों में त्रुटियों की संख्या में वृद्धि भी होती रही। स्वचलन भाग के लिए 2010-11 में जहाँ त्रुटियों के प्रकार मात्र 10 थे, वही 2014-15 में बढ़कर 126 हो गए। इसी प्रकार, आयुध भाग, यंत्र भाग, टीसीएम भाग तथा इलेक्ट्रिक भाग के प्रकारों में 480 से 1017 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पिछले छः वर्षों के दौरान अनुभागवार त्रुटियों को नीचे तालिका -16 में संक्षेपित किया गया है:-

तालिका 16:ओवरहाल किए गए उपकरण की त्रुटियों की नित्यता

वर्ष	स्वचलन भाग		आयुध भाग		यंत्र भाग		टीसीएम भाग		इलेक्ट्रिक भाग	
	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या	त्रुटियों के प्रकार	त्रुटियों की कुल संख्या
जुलाई 2010-जून 2011	10	एनए	4	एनए	5	एनए	6	एनए	4	एनए
जुलाई 2011-जून 2012	19	419	4	87	21	537	8	123	8	157
जुलाई 2012-जून 2013	35	836	8	180	41	1481	38	553	7	56
जुलाई 2013-जून 2014	88	2945	19	273	14	284	21	483	27	187
जुलाई 2014-जून 2015	126	3081	34	630	24	429	61	787	31	384
जुलाई 2015-मार्च 2016	एनए	6334	एनए	1769	एनए	1913	एनए	2645	एनए	1236

एनए - उपलब्ध नहीं

एमजीओ (मई 2016) ने अपने उत्तर में यह माना कि, लक्षित गुणवत्ता इन्डेक्स को पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हासिल नहीं किया जा सका। इस अनुपलब्धता को पूरा करने के लिए पुर्जों का उद्धार तथा स्वतः उत्पादन किया गया। यह उत्तर इस तथ्य का सांकेतिक है कि ओवरहाल के उद्देश्य 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर' स्थिति को हासिल नहीं किया जा सका और उपकरण को समझौता युक्त गुणवत्ता के साथ जारी किया गया।

(ii) परीक्षण के बिना ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी करना

हमने देखा कि, 512 एबीडब्ल्यू में कुछ विशिष्ट जाँच सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण किए बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को युनिटों को जारी कर दिया गया जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:

अ. ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर क्षमताओं का तदर्थ परीक्षण

डिप टेस्टिंग व ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर क्षमताओं का परीक्षण के लिए हल के समान भारित सामग्री की आवश्यकता है। ओईएम सिफारिश के अनुसार यह परीक्षण उभयचर क्षमताओं की जाँच की पूर्व शर्त है।

हमने देखा कि, प्रतिभार की गैर-मौजूदगी में परीक्षण के लिए हल संयंत्र पर कर्मचारियों को खड़ा करके जाँच परीक्षण किया गया।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल किए गए बीएमपी की उभयचर परीक्षण में कोई त्रुटि नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि, ओईएम द्वारा दिए गए परिमाण के अनुसार प्रतिभार की गैर मौजूदगी में योग्य प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के तहत उसी के समतुल्य भार को बीएमपी पर रखा गया। तथापि, यह तथ्य बना रहा कि, ओईएम की सिफारिश के अनुसार अनिवार्य परीक्षण को बिना योग्य परीक्षण सुविधा के करवाया गया।

ब. टेस्ट फायरिंग के बगैर बीएमपी को जारी करना

512 में टेस्ट फायरिंग सुविधा तथा गोला-बारूद की कमी के कारण ओवरहाल किए गए बीएमपी को प्रूफ फायरिंग के बगैर जारी किया गया। इस मामले की विस्तृत चर्चा अध्याय - II के पैराग्राफ 3.4 में की गई है। उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, प्रयोक्ता फायरिंग रेंजों पर टेस्ट फायरिंग के दौरान एबीडब्ल्यू के प्रतिनिधि मौजूद थे, अतः शत प्रतिशत बीएमपी की प्रूफ फायरिंग की गई थी। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, उपकरण का संपूर्ण परीक्षण के पश्चात ही प्रयोक्ता युनिटों को जारी किया जाना चाहिए था।

क. विशेष मशीनी औजार (एसएमटीस), विशेष औजार उपकरण (एसटीस), टूल्स/जिग्स (टीजेस) की मुख्य कमियाँ

हमने देखा कि, विशेष मशीनी औजारों/विशेष जाँच उपकरण/जाँच जिग्स जैसे कि, युनिवर्सल गन पुल बॅक ऐपरेटस, गियर बाक्स के चढ़ान तथा उतारने के लिए आय बोल्ट और ट्रॅक्सों को बिना निकाले चक्कों के लगाने तथा हटाने के लिए गार्ड डिस्क इत्यादि का एबीडब्ल्यू में अभाव था। महत्वपूर्ण एसएमटी/एसटीई/टीजे के अभावों के बारे में 2011-12 से बताया गया है।

उत्तर में बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया (सितम्बर 2015) कि प्रभावशालीता को बढ़ाने तथा समय की बचत हेतु डिजिटल औजारों की माँग की गई थी परंतु ये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। डिजिटल परीक्षण उपकरण की गैरमौजूदगी में, क्यूए/क्यूसी की जाँच रूढ़िगत संयंत्रों के द्वारा की गई।

यह उत्तर कि, रूढ़िगत पद्धति से क्यूए/क्यूसी जाँच को किया गया था, इस तथ्य को सूचित करता है कि इन परीक्षण उपकरण की गैर मौजूदगी में क्यूए/क्यूसी जाँच न सिर्फ ज़्यादा समय लेती है बल्कि कम प्रभावी होती है। इसके परिणामस्वरूप ओवरहाल की गुणवत्ता पर भी प्रभाव हुआ।

(iii) प्रयोक्ता से ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रतिक्रिया

बीडब्ल्यूजी मुख्यालय (जनवरी 2005) ने प्रयोक्ता को उपकरण मिलने के पश्चात छह महीनों के भीतर एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरण पर प्रतिक्रिया रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्रतिक्रिया रिपोर्ट में ओवरहाल किए उपकरण को तीन वर्गों अर्थात् उत्तम, अच्छा तथा असंतोषजनक के रूप में निर्धारित किया जाना था।

हमने देखा कि एबीडब्ल्यू द्वारा किए गए ओवरहाल कार्य की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रतिक्रिया रिपोर्ट में फायरिंग के दौरान बॅरल स्प्रिंग का टूटना, ऑइल पंप से रिसाव, फ्लाय व्हील का रिसाव, त्रुटिपूर्ण औजार तथा एक्सेसरिज, असंतोषजनक नाइट विज़न इत्यादि से समाहित थीं। ओवरहाल किए गए बीएमपी में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि गन, विजन साईट, रख रखाव कीटें इत्यादि की अनापूर्ति ने 'झिरो आवर झिरो किलोमीटर'

के उद्देश्य को पूरा नहीं किया। इन अभावों के बावजूद हमने देखा कि पुनरीक्षणाधिन अवधि के दौरान प्राप्त 295 प्रतिक्रिया रिपोर्टों में से 16 को उत्तम, 132 अच्छा तथा 147 को संतोषजनक श्रेणी दी गई थी। उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, प्रयोक्ता ओवरहाल किए गए उपकरण को या तो युद्ध के लिए फिट या अनफिट समझता है और तदनुसार वह अच्छा या संतोषजनक ही लिखता है। अतः ओवरहाल निष्पादन का प्रयोक्ता द्वारा किया गया वर्गीकरण के साथ मिलान का सहसंबंध प्रस्तापित करने में कोई सुसंगति नहीं है। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि, फिट या अनफिट यह निष्कर्ष नहीं है जिनपर प्रतिक्रिया रिपोर्ट के अधिन ओवरहाल की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया माँगी गई थी। विशिष्ट उपकरण की आपूर्ति में अभाव के साथ-साथ मात्र पाँच प्रतिशत ओवरहाल उपकरणों को उत्तम कहा जाना ही ओवरहाल के गुणवत्ता पर टीका-टिप्पण है।

2.6 509 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), आगरा

509 एबीडब्ल्यू डिजल जनरेटरों सहित संचार पद्धतियों, रडारों तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की मरम्मत और ओवरहाल के लिए जिम्मेवार है। प्रयोक्ता युनिटें ओवरहाल के लिए देय उपकरण को सीधे जमा करते हैं तथा ओवरहाल के पश्चात उसे एबीडब्ल्यू से प्राप्त भी करते हैं।

सिग्नल उपकरण के मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के व्योरेँ नीचे तालिका-17 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 17: सिग्नल उपकरणों के लिए ओवरहाल लक्ष्यों को हासिल न किया जाना

उपकरण→	रडार फ्लाय कॅचर			रडार टीसी रिपोर्टर			बीएफएसआर (एमआर)			जनसेट 30 केवीए		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	12	12	12	5	5	5	25	25	25	55	55	55
2011-12	24	18	18	10	5	5	25	19	19	65	44	44
2012-13	24	18	18	15	08	08	25	20	20	65	32	32
2013-14	24	12	12	15	07	07	25	25	25	30	24	24
2014-15	24	12	12	15	06	06	25	25	25	65	25	25
2015-16	30	30	24	15	15	14	-	-	-	55	55	40

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, मूल लक्ष्यों की तुलना में हासिल किए गए लक्ष्यों में कमी पायी गई जो कि रडार फ्लाय कॅचर के विषय में लगभग 50 प्रतिशत, रडार टीसी रिपोर्टर के विषय में लगभग 60 प्रतिशत तथा जन सेट 30 केवीए के विषय में 62 प्रतिशत थी। बीएफएसआर (एमआर) के विषय में, 2011-13 के दौरान यह सबसे कम देखी गई।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, आयुध फॅक्टरियों/डीपीएसयू से पुर्जों की अनुपलब्धता तथा देशीकरण की मंद गति के कारण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। लक्ष्यों को हासिल न किए जाने के अन्य कारणों में ओवरहाल के लिए उपकरण का उपलब्ध न हो पाना था क्योंकि, सामरिक क्षेत्र से उपकरण को सामरिक परिस्थितियों की वजह से हटाया नहीं जा सकता था। तथापि यह तथ्य है कि, क्रिटिकल सिग्नल तथा निगरानी उपकरण के मुख्य घटकों को अभी भी ओवरहाल किया जाना बाकी है जिसके कारण संचार तथा निगरानी प्रकार्य के साथ समझौता करना पड़ा।

2.6.1 सिग्नल उपकरणों के ओवरहाल में विलंब

रडारों/जनरेटरों के ओवरहाल के लिए भी समय-सीमा निश्चित की गई थी। तथापि, हमने देखा कि, पुनरीक्षण अवधि के दौरान इन उपकरणों के ओवरहाल हेतु लिया गया समय निश्चित किए गए समय-सीमा से बहुत अधिक रहा। पिछले छह सालों में 381 ओवरहाल किए गए सिग्नल उपकरणों में से मात्र 9 उपकरण ही समय सीमा के भीतर ओवरहाल किए गए। रडार फ्लायकैचर के मामले में यह विलंब लगभग 921 दिनों तक रहा। पुनरीक्षणाधीन अवधि के दौरान इन उपकरणों के ओवरहाल में हुए विलंब को नीचे तालिका-18 में दर्शाया गया है:

तालिका 18: 509 एबीडब्ल्यू में उपकरण के ओवरहाल में विलंब

उपकरण	ओवरहाल किया गया उपकरण (संख्या)	मानदण्डों के अनुसार ओवरहाल का समय (दिनों में)	ओवरहाल किया गया उपकरण				ओवरहाल के लिए लिया गया अधिकतम समय (दिनों में)	ओवरहाल के लिए लिया गया औसतन समय (दिनों में)
			निर्धारित समय सीमा के भीतर	100 दिनों के भीतर	101 से 200 दिनों के भीतर	201 दिन तथा ऊपर		
रडार फ्लाय कैचर	96	70	09	13	40	34	921	200
टीसी रिपोर्टर	45	70	00	01	09	35	467	314
बीएफएसआर (एमआर)	109	07	00	39	44	26	664	146
जन सेट 30 केवीए	131	21	00	12	45	74	544	241
कुल	381	-	9	65	138	169	-	-

2.6.2 युनिटों को सिग्नल उपकरण के प्रेषण में विलंब

हमने देखा कि, 509 एबीडब्ल्यू द्वारा 2010-11 से 2015-16 (मार्च 2016) के दौरान ओवरहाल किए गए निम्नलिखित उपकरणों को युनिटों से प्राप्त करने वाली पार्टियों के न आने के कारण उपकरण जारी नहीं किया जा सका। यह उपकरण अभी भी एबीडब्ल्यू में मौजूद थे। ऐसे उपकरणों के वर्षावार ब्योरों को नीचे तालिका-19 में दर्शाया गया है।

तालिका 19: ओवरहाल किए गए उपकरण को युनिटों द्वारा ग्रहण करना शेष है

वर्ष	उपकरण का प्रकार				कुल उपकरण
	संचार	यंत्र	रडार	पावर	
2010-11	01	01	-	-	02
2011-12	-	-	05	-	05
2012-13	04	-	35	01	40
2013-14	09	20	09	03	41
2014-15	27	65	24	-	116
2015-16	-	-	10	16	26

2.7 510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ

510 एबीडब्ल्यू विभिन्न इंजिनियरिंग उपकरण तथा विशेष वाहनों के ओवरहाल का कार्य करता है। मूल रूप में निर्दिष्ट लक्ष्य, अनुवर्ती रूप में संशोधित लक्ष्य तथा हासिल किए गए लक्ष्य, के ब्योरों नीचे तालिका-20 में निर्दिष्ट किए गए हैं:

तालिका 20: ओवरहाल लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति

उपकरण → वर्ष	फगोट/कॉन्कुर			फ्लेम लॉचर I और II			झिल 131			कोलस टाट्रा			एचआरवी एवी 15		
	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए	ओ	आर	ए
2010-11	300	200	200	25	25	25	35	38	38	80	50	52	-	-	-
2011-12	225	225	250	50	50	50	40	40	37	50	50	50	-	1	1
2012-13	250	250	250	100	65	66	40	42	42	60	60	60	5	5	5
2013-14	350	320	306	100	85	107	45	35	32	50	50	52	10	10	8
2014-15	380	380	380	70	70	71	40	38	38	20	25	27	10	9	1
2015-16	380	380	380	70	77	77	25	25	27	30	30	30	15	15	15

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि, 510 एबीडब्ल्यू ने 2013-14 में फगोट/कॉन्कुर, 2011-12 तथा 2013-14 में झिल-131 और 2013-14 तथा 2014-15 में एचआरवी एवी-15 को छोड़कर, सामान्यतः लक्ष्यों को हासिल किया है।

2.7.1 श्रेणी 'बी' वाहनों - स्कैनिया, टाट्रा तथा क्राज़ के लिए ओवरहाल पॉलिसी का न होना

रक्षा मंत्रालय ने "आर्मी बेस वर्कशॉपों के पुनरीक्षण" पर 1992 की प्रतिवेदन संख्या 14 पर कार्रवाई की गई टिप्पणी में यह बताया था कि, उपकरण को शामिल किए जाने से पूर्व प्रयोक्ताओं, आयुध तथा ईएमई डायरेक्टोरेट के साथ परामर्श करते हुए एमजीओ द्वारा उपकरण प्रबंधन नीति विवरण जारी की जाती है। तथापि हमने देखा कि, स्कैनिया, क्राज़-255 बी/बी1, टाट्रा टी-815 के लिए बीडब्ल्यूजी मुख्यालय तथा संबंधित वर्कशॉपों के पास कोई ओवरहाल पॉलिसी मौजूद नहीं थी। वर्तमान में, बेस वर्कशॉप ईएमई डायरेक्टोरेट के निर्देशों के अनुसार ओवरहाल के लिए आठ वर्षों या उससे ऊपर के पुराने वाहनों को स्वीकार कर रही है।

2.8 515 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), बंगलुरु

भारतीय सेना द्वारा धारित विभिन्न उपकरणों के लिए पुर्जों की निर्मिती तथा देशीकरण करना 515 एबीडब्ल्यू का प्रारंभिक कार्य है। इसके अलावा, वर्कशॉप फील्ड सेना के लिए सिमुलेटरों का निर्माण तथा एविएशन रोटेबलों का ओवरहाल भी करता है।

सौंपे गए कार्य के संदर्भ में उसकी प्रभावशालिता को निर्धारित करने के लिए वर्कशॉप के निष्पादन कार्य का हमने विश्लेषण किया था और यह पाया कि, वर्कशॉप ने एविएशन रोटेबलों का ओवरहाल कार्य शुरू नहीं किया था। हमने यह भी देखा कि, पुर्जों के निर्माण के लिए आंबटित समय सूचि का पालन वर्कशॉप नहीं कर पाया। हमारे निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई है:

2.8.1 वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल की शुरूआत न होना

भारतीय सेना के चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों के रोटेबलों का ओवरहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भविष्य में इंजिनियरिंग सहायता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 2005 में सेना मुख्यालय द्वारा, वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल के कार्य को करने की जिम्मेवारी एबीडब्ल्यू पर सौंपी गई थी। हमने देखा कि, रक्षा मंत्रालय ने, जून 2011 में 99 रोटेबलों के ओवरहाल के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। परन्तु दिसंबर 2014 में एमजीओ (एवीएन) द्वारा उस लक्ष्य को बाद में 23 तक घटाया गया था।

दिसंबर 2006 में, रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹ 1.94 करोड़ की अनुमानित लागत पर रिपेयर शेड के सिविल कार्य की संस्वकृति दी गई थी, जिसे अप्रैल 2008 में ₹ 3.20 करोड़ तक संशोधित कर दिया गया था। इस रिपेयर शेड का निर्माण कार्य अप्रैल 2010 में पूरा हुआ था। सितंबर 2005 तथा अक्टूबर 2014 अवधि के दौरान, एबीडब्ल्यू ने 76 प्लांट, मशीनरी तथा विशेष उपकरणों (पीएमएसई) की अधिप्राप्ति की थी जिसमें, 56 पीएमएसई की लागत ₹ 48.96 लाख थी। इस ओवरहाल को करने के उद्देश्य से 47 कार्मिकों को भी तैनात

किया गया था। तथापि, कोई भी ओवरहाल कार्य शुरू (दिसंबर 2015) नहीं किया जा सका क्योंकि एबीडब्ल्यू को एमजीओ (वैमानन) द्वारा अभी तक ओवरहाल के लिए रोटेबलों तथा पुर्जों की आपूर्ति के लिए केंद्रीय वैमानन आपूर्ति डिपो (सीएएसडी) की डिपेडेंसी लिस्ट में नहीं रखा गया था।

इस प्रश्न कि, एबीडब्ल्यू में रोटेबलों का ओवरहाल क्यों शुरू नहीं किया गया, के उत्तर में यह सूचित (दिसंबर 2015) किया गया कि, डीजीओएस ने रोटेबलों की मरम्मत तथा ओवरहाल कार्य एबीडब्ल्यू के लिए आरक्षित करने की माँग पर एमजीओ (वैमानन) को सूचित करते हुए यह शंका जताई कि, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व्यापक मरम्मत तथा ओवरहाल सुविधाओं को प्रदान कर रहा है तथा अत्यावश्यक माँग को पूरा करने में सक्षम है। साथ ही वह उसी स्टेशन पर स्थित है।

एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि 2016-17 के उत्पादन वर्ष में 23 में से 13 रोटेबलों का ओवरहाल कार्य शुरू कर दिया गया है। चूँकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ओवरहाल सुविधा पहले से ही मौजूद थी और 118 रोटेबलों में से मात्र 23 रोटेबलों का ही ओवरहाल कार्य यहाँ किया जाने वाला है, 515 एबीडब्ल्यू में ₹ 3.69 करोड़ की लागत पर आधारभूत संरचना का निर्माण करने में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है।

2.8.2 कार्य आदेशों के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब

माँगकर्ताओं द्वारा तात्कालिक प्रायोजन के आधार पर पुर्जों के निर्माण हेतु कार्य आदेशों (डब्ल्यू ओ) को तीन वर्गों में बाँटा जाता है जिसे नीचे तालिका-21 में दर्शाया गया है।

तालिका 21: कार्य आदेशों का वर्गीकरण

वर्गीकरण	समापन की अवधि
ओपरेशनल इमीडियेंट (ओपीआई)	12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना
प्रायोरिटी (पीटीवाय)	24 महीनों के भीतर पूरा किया जाना
रूटीन (आरयूटी)	36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना

हमने देखा कि, 'ओपीआई' वर्ग के कार्य आदेश जिसे आयुध डिपो द्वारा एबीडब्ल्यू को दिए गए थे, में से मात्र 27 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय के अंदर सम्पन्न हुए थे। कुछ मामलों में, लिया गया समय लगभग 93 महीनों का था जिसने 'ओपीआई' वर्गीकरण के उद्देश्य को ही विफल कर दिया। 'प्रायोरिटी' एवं 'रूटीन' कार्य आदेशों के विषय में, निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रमशः 65 एवं 90 प्रतिशत कार्य पूरे हो पाए थे जिसे नीचे तालिका-22 में दर्शाया गया है:

तालिका 22: पुर्जों के निर्माण के लिए लिया गया समय

ओपीआई वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	एक वर्ष के भीतर	एक से दो वर्षों के भीतर	दो वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	258	151	73	34	66 महीने
2011-12	353	116	183	54	86 महीने
2012-13	167	29	61	77	65 महीने
2013-14	252	67	56	129	76 महीने
2014-15	210	11	49	150	93 महीने
2015-16	180	11	09	160	84 महीने
कुल	1420	385	431	604	
पीटीवाय वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	दो वर्षों के भीतर	दो से तीन वर्षों के भीतर	तीन वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	175	136	29	10	47 महीने

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा

2011-12	167	112	36	19	57 महीने
2012-13	149	109	18	22	75 महीने
2013-14	238	163	12	63	79 महीने
2014-15	217	119	26	72	80 महीने
2015-16	155	78	30	47	79 महीने
कुल	1101	717	151	233	
आरयूटी वर्ग					
वर्ष	पूरे किए गए कार्य आदेशों की कुल संख्या	तीन वर्षों के भीतर	तीन से चार वर्षों के भीतर	चार वर्ष तथा उससे ऊपर	अधिकतम अवधि महीनों में
2010-11	295	290	04	01	51 महीने
2011-12	278	269	07	02	57 महीने
2012-13	360	333	26	01	49 महीने
2013-14	412	348	17	47	60 महीने
2014-15	471	403	38	30	93 महीने
2015-16	529	456	59	14	72 महीने
कुल	2345	2099	151	95	

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि, अधिकतम विलंब 'ओपीआई' वर्ग में हुआ था तथा निर्धारित समय के भीतर पूर्ण होने वाले कार्य आदेशों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में घटती रही है। एबीडब्ल्यू पर अधिकतर कार्य आदेश विभिन्न आयुध डिपो द्वारा उन पुर्जों की निर्मिति करने के लिए थे जिन्हें ओवरहाल की आवश्यकता थी।

हमने यह भी देखा कि, जहाँ मार्च 2016 को 1348 कार्य आदेश बकाया थे वहीं 1 अप्रैल 2010 को बकाया कार्य आदेश 1707 थे। बकाया कार्य आदेशों का आयुवार विश्लेषण यह उद्घाटित करता है कि, सबसे पुराने बकाया कार्य आदेश 2007-08 के थे।

एमजीओ ने उत्तर (मई 2016) में यह माना कि, निर्माण में विलंब न सिर्फ अप्राप्त सैम्पलों, ड्राईंग और सामग्री के अधिप्राप्ति में देरी की वजह से हुआ, अपितु सामग्री के परीक्षण में हुए विलंब तथा उत्पादन में आयी असफलता के कारण भी हुआ।

एमजीओ द्वारा दिए गए कारणों के होते हुए भी, मामले का यह तथ्य है कि, निर्मिति में आने वाला विलंब पुर्जों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है जिसकी ओवरहाल के लिए आवश्यकता होती है। चूँकि, एबीडब्ल्यू को स्वदेशीकरण तथा पुर्जों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, उनके द्वारा इन अवरोधों को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्रणा बनाने की आवश्यकता थी। जब वर्कशॉप में ड्राईंग अनुभाग पूर्णतः सुस्जित था, तो इस उपलब्ध सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए थे। इन वर्षों में परीक्षण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना चाहिए था।

2.8.3 त्रुटि रिपोर्टों की मॉनिटरिंग न किया जाना

515 एबीडब्ल्यू को, उनके द्वारा निर्माण की गई सामग्रियों तथा उसे जारी करने के पश्चात् उसमें आयी त्रुटियों पर रिपोर्टें प्राप्त होती हैं। यद्यपि हमने देखा कि इन रिपोर्टों की मॉनिटरिंग तथा परिवर्तित त्रुटिपूर्ण सामग्रियों से संबंधित दस्तावेजों को एबीडब्ल्यू द्वारा बरकरार नहीं रखा गया।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि, क्योंकि पुर्जे वातावरण के प्रभाव में आते ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसलिए यह संभव है की युनिटों/वर्कशॉपों/डिपों द्वारा त्रुटि रिपोर्टों को नहीं भिजवाया गया। यह भी बताया गया है कि, भविष्य में उन्हें त्रुटि रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा जाएगा तथा इसके लिए एबीडब्ल्यू में मॉनिटरिंग यंत्रणा बनायी जा चुकी है।

515 एबीडब्ल्यू में त्रुटि रिपोर्ट की मॉनिटरिंग यंत्रणा मौजूद न होने के कारण, ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं लिए जा सके।

2.9 लागत लेखा प्रणाली का मौजूद न होना

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (मार्च 1994) के अनुसार, वाहन एवं इंजनों की ओवरहाल की लागत नए वाहन/इंजनों के लागत से 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे एमजीओ शाखा/डीजीईएमई द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। हमने यह देखा कि, एबीडब्ल्यू में लागत लेखा प्रणाली को क्रियान्वित नहीं किया गया था। अतः एबीडब्ल्यू में ओवरहाल प्रक्रिया की लागत प्रभावशीलता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

एमजीओ ने अपने उत्तर में बताया (मई 2016) कि लागत लेखाकरण पद्धति को एबीडब्ल्यू में 1995 में प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत मात्र श्रम और पुर्जों की लागत के लेखा को ध्यान में रखते हुए उपकरण के ओवरहाल की लागत का गणन किया जाता था। तथापि इस पद्धति को संपूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी अपनी सीमाएँ हैं जिसमें, अन्य घटकों की लागत अर्थात् एमईएस संपत्तियाँ तथा पूरक सेवाएँ जो पुरातन हो चुकी थीं का गणन नहीं किया जा सका। एमजीओ द्वारा लागत लेखाकरण पद्धति के संबंध में कुछ अपर्याप्तताओं को सामने लाया गया अर्थात् आयुध द्वारा प्रावधान किए गए सभी पुर्जों की लागत की जानकारी न होना तथा ईमारत की लागत का निर्धारण न कर पाना।

इनका उत्तर इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि, मंत्रालय के लागत नियंत्रण संबंधी निर्देशों को क्रियान्वित किया जाना अभी भी बाकी है तथा इसकी गैर-मौजूदगी में एबीडब्ल्यू की किफायत एवं दक्षता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह बिंदु इस तथ्य को महत्व देता है कि, शुरुआत में एबीडब्ल्यू को जो लक्ष्य सौंपे गए थे, वे निर्माण क्षमता के संदर्भ में थे, जिन्हें प्रत्येक वर्ष निरंतर घटाया गया था। इन निर्माण क्षमताओं को एबीडब्ल्यू में तैनात मानवशक्ति के आधार पर निकाला जाता है। चूंकि मानवशक्ति पर व्यय अनिवार्य था और एबीडब्ल्यू में मौजूद निर्माण क्षमता को पूर्णतः उपयोग में नहीं लाया गया था, ओवरहालों की लागत में इसकी बढ़ोत्तरी होना तो तय था।

निष्कर्ष

ओवरहाल के लिए असामान्य समय लेना, अपर्याप्त पुर्जों तथा विलम्ब और ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना की समय पर निर्मिती न हो पाने के कारण लक्ष्यों को घटाया जाने का विपरीत प्रभाव उपकरणों के ओवरहाल पर पड़ा। परिणामस्वरूप, ओवरहाल के लिए बड़ी मात्रा में उपकरणों का बँकलॉग दिखाई पड़ा जिसने सेना की सामरिक तैयारी को भी प्रभावित किया था। ओवरहाल में विलंब के साथ-साथ, ओवरहाल किए गए उपकरण के निर्गत आदेश को जारी करने में देरी तथा उपकरण को युनिटों को भेजने में देरी वांछनीय नहीं है, क्योंकि उपकरण के प्रयोज्य आयु का एक महत्वपूर्ण समय तो वर्कशॉप/डिपो में ही बीत गया। एक ऐसा एबीडब्ल्यू, जिसका प्राथमिक कार्य अन्य एबीडब्ल्यू तथा फील्ड आर्मी के उपकरणों के ओवरहाल तथा रख-रखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुर्जों का निर्माण तथा स्वदेशीकरण कार्य करना था, वह अपने इस कार्य को करने में असफल रहा क्योंकि 'ओपीआई' वर्गीकरण के अधीन पुर्जों के निर्माण/स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब देखा गया था।

कमज़ोर कारिगरी तथा निकृष्ट दर्जे की सामग्री के प्रयोग के कारण ओवरहाल किए गए उपकरण की गुणवत्ता इन्डेक्स निर्धारित मानदंडों से बहुत कम थी। क्रिटिकल परीक्षण सुविधाओं तथा परीक्षण उपकरणों की कमी की वजह से ओवरहाल किए गए उपकरण को अनिवार्य परीक्षण किए बगैर प्रयोक्ता युनिटों को जारी कर दिया गया।

सिफारिशें

1. मंत्रालय इस बात को सुनिश्चित करे कि, सेना में उपकरणों को शामिल करते समय बनाए गए अनुरक्षण फिलॉसॉफी एवं मध्यस्थता के मानदंडों का कठोर अनुपालन हो तथा इसके कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय यंत्रणा बनाई जाए जिसमें रक्षा उत्पादन विभाग तथा सेना मुख्यालय शामिल हो जो कि, समय पर पुर्जों की उपलब्धता तथा मरम्मतीय उपकरण की आपूर्ति में आने वाले अवरोधों का निराकरण करे।
2. सेना में श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल के लिए किसी पॉलिसी की गैर-मौजूदगी में, इन वाहनों का ओवरहाल प्रत्येक की स्थिति के आधार पर वर्कशॉप द्वारा किया जाता है। मंत्रालय इन श्रेणी 'ब' के वाहनों के ओवरहाल के लिए पॉलिसी को सूत्रबद्ध करे।
3. डीजीओएस द्वारा निर्गत आदेशों को जारी करने तथा डिपो द्वारा ओवरहाल किए गए उपकरण के प्रेषण के लिए समय सीमा को सुनिश्चित किया जाए।
4. लागत लेखा पद्धति को वर्कशाप में लागू किया जाए ताकि स्रोतों अर्थात् मानवशक्ति, मशीन एवं सामग्रियों आदि के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके तथा ओवरहाल की लागत का आकलन हो सके।
5. वर्कशॉप में ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण करते समय ही ओईएम द्वारा निर्धारित टेस्ट सुविधा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि, वर्कशॉप द्वारा ओवरहाल किए गए टी-72 टैंकों तथा बीएमपी को कुछ विशिष्ट टेस्ट जैसे प्रुफ फायरिंग तथा डिप टेस्टिंग किए बिना युनिटों को निर्गत किए गए जिसका सामरिक तथा गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ा, इसलिए संबंधित वर्कशॉप में इन टेस्ट सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
6. ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता इन्डेक्स में 2015-16 के दौरान सुधार हुआ, फिर भी वह कम है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है।

अध्याय III: आधारभूत संरचना एवं आधुनिकीकरण

3.0 आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों में नई प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक उपकरणों के आगमन के कारण सेना के शस्त्रों एवं उपकरणों में कई सारे परिवर्तन आए। प्रौद्योगिकी संक्रमण के साथ तालमेल रखने के लिए यह ज़रूरी था कि, एबीडब्ल्यू आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के साथ-साथ कौशल उन्नयन करें।

3.1 दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार न कर पाना

एबीडब्ल्यू की प्रक्रिया अनुसार, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय, मेरठ को 20 वर्षों की आवरित अवधि की एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना (पीपी) का बनाना अपेक्षित है। यह परिप्रेक्ष्य योजना, सेना में उपलब्ध सुविधाएँ, मानवशक्ति तथा शामिल होने वाले उपकरण या पहले ही शामिल उपकरणों को ध्यान में रखते हुए एबीडब्ल्यू में योजना के लिए आधार मूल होती है। परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार, एबीडब्ल्यू को, आधुनिक प्रौद्योगिकी को समाविष्ट करते हुए तथा पुरानी मशीनरी के समयोपरि बदलाव के लिए आधुनिकीकरण योजना बनाना अपेक्षित है।

हमने देखा कि, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय द्वारा कोई परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई थी। दीर्घकालीन योजना की कमी के कारण ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में धीमी गति आई जिससे कि महत्वपूर्ण उपकरणों के ओवरहाल में बकलॉग आते गए जिसकी चर्चा पैराग्राफ 3.2.1 तथा 3.2.2 में की गई है।

उत्तर में, डीजीईएमई ने बताया (मई 2016) कि, 15 वर्षों की परिप्रेक्ष्य योजना को अक्टूबर 2010 में लागू की गई थी, तथापि, शस्त्र प्रणालियों के शामिल होने एवं उनके बनाए रखने में बदलाव को महसूस करते हुए 15 वर्षों की एक नई परिप्रेक्ष्य योजना का प्रस्ताव एमजीओ को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। यह उत्तर अक्टूबर 2015 में लेखापरीक्षा को दी गई प्रतिक्रिया के प्रतिकूल है, जहाँ बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया था कि, सिर्फ पाँच वर्षों का मरम्मत कार्यक्रम बनाया गया था।

3.2 ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में असामान्य विलम्ब

हमने ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति तथा नए उपकरण के शामिल होने में समक्रमिकता की कमी को देखा। एआरवी डब्ल्यूझेड टी-2 के मामले में, सेवा से उपकरण को निकाले जाने के समय सुविधा का निर्माण किया गया था जबकि एआरवी वीटी-72 वी के लिए सुविधा की निर्मिति में उसके शामिल होने के 20 वर्षों तक का विलंब हुआ। हाँलाकि, 2020-21 से एमबीटी अर्जुन तथा 2018-19 से टैंक टी-90 ओवरहाल के लिए देय हैं, फिर भी ओवरहाल के लिए एजन्सी का नामित किया जाना अभी बाकी है। ऐसे मामलों के ब्योरों को नीचे तालिका-23 में दर्शाया गया है:

तालिका 23: ओवरहाल सुविधाओं की स्थिति

उपकरण	उपकरण शामिल होने का वर्ष	ओवरहाल के लिए देय	ओवरहाल की निर्मिति का वर्ष	अभ्युक्तियाँ
एआरवी डब्ल्यूझेडटी-2	1981-1988	1996-97	2009 में निर्मित	उपकरण प्रबंधन नीति के अनुसार, उपकरण के हटाए जाने की अवधि से तीन वर्ष पूर्व ही इस सुविधा का निर्माण किया गया था।
एआरवी वी टी 72 वी	1994-2003	2009-10	अभी निर्मित नहीं की गई है।	ओवरहाल सुविधा के लिए डीपीआर को तैयार करने के लिए परामर्श-कारार को पूरा किया गया है तथा उसे मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है।
एआरवी डब्ल्यूझेडटी-3	2001-2007	2016-17	अभी निर्मित नहीं की गई है।	
टैंक टी-90	2002	2018-19	अभी निर्मित नहीं की गई है।	-
एमबीटी अर्जुन	2004	2020-21	अभी निर्मित नहीं की गई है।	-

3.2.1 उपकरण को हटाए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व ओवरहाल सुविधा की निर्मिती के कारण ₹ 73.43 करोड़ का निष्फल व्यय

1981-82 से 1987-88 के दौरान शामिल हुए एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2(टैंक टी-55 के लिए)आर्मर्ड रिकवरी वाहन के लिए मरम्मत तकनीकी/सुविधाओं की कमी का उल्लेख वर्ष 2005 की रिपोर्ट संख्या 06 के अनुच्छेद 3.1.5 में किया गया था। अपनी कार्रवाई की गई नोट में मंत्रालय ने (नवम्बर 2006) में बताया कि, एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 की एक्स पोलेण्ड ओवरहाल सुविधा के स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 1998 से प्रगति पथ पर था तथा उपकरण का ओवरहाल 2006-07 से सूचिबद्ध था। आश्वासन के होते हुए भी हमने देखा कि, ₹ 73.43 करोड़ की लागत से उपकरणों के ओवरहाल के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित आवश्यक प्लांट, मशीनरी तथा पुर्जों की अधिप्राप्ति के पश्चात अगस्त 2009 तक मात्र दो एआरवी का पायलट ओवरहाल पूरा किया गया था।

पायलट ओवरहाल को पूरा करने के बाद, मार्च 2016 तक 512 एबीडब्ल्यू ने कुल 222 एआरवी में से सिर्फ 22 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 का ओवरहाल किया जो ओवरहाल की मंदगति को सांकेतिक करता है। अपनी निर्धारित आयु के दौरान शेष किसी भी वाहन का ओवरहाल नहीं किया जा सका क्योंकि, एआरवी डब्ल्यूजेड टी-2 टैंक को टी-55 के साथ 2018 तक निकाले जाने की संभावना थी।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल का मामला 512 एबीडब्ल्यू द्वारा 1998 में शुरू किया गया था परंतु, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2007 में इसकी संस्वीकृति दी गई थी। यह भी बताया गया कि, 2019-20 वर्ष तक शेष फ्लीट का ओवरहाल पूरा हो जाएगा।

इस उत्तर के बावजूद, तथ्य यह है कि, नीति अनुसार एआरवी डब्ल्यूजेडटी-2 के लिए ओवरहाल सुविधा की निर्मिती उपकरण के हटाए जाने की देय अवधि की शुरुआत के दो वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस प्रकार, ₹ 73.43 करोड़ की लागत से सुविधाओं की निर्मिती करना त्रुटिपूर्ण नियोजन था और व्यय निष्फल हो गया क्योंकि, ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिती के करार को जब तक पूरा किया गया तब तक उपकरण की उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।

3.2.2 एआरवी वी टी -72 बी तथा डब्ल्यूजेड टी-3 के लिए ओवरहाल सुविधाओं का निर्माण न होना

एआरवी वीटी-72 बी, टैंक टी-72 का एक रिकवरी वाहन है। मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से कुल 156 एआरवी की अधिप्राप्ति की गई एवं 1994-2003 की अवधि के दौरान इनको सेना में शामिल किया गया। अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंडों के अनुसार, 2001 तक शामिल किए गए 129 वाहन 2010-15 के दौरान ओवरहाल के लिए देय हो गए थे।

हमने देखा कि, वाहन के शामिल होने के 20 वर्षों के बाद भी, कोई भी ओवरहाल सुविधा का निर्माण नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 भारतीय सेना में मौजूद टी-72 का एक नवीनतम प्रौद्योगिकी का रिकवरी वाहन है। वर्ष 2001-07 के दौरान, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के द्वारा 352 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 को सेना में शामिल किया गया था। यह उपकरण 2016-17 के बाद से ओवरहाल के लिए देय थे। तथापि, इनके ओवरहाल के लिए सुविधा की निर्मिती अभी भी नहीं की गई थी।

जैसा कि एमजीओ द्वारा बताया गया, वर्ष 2001-03 के दौरान चेकोस्लोवाकिया (ओईएम देश) में भू-राजनैतिक परिवर्तनों के कारण, ना तो ओईएम और ना ही कोई अन्य कंपनी एआरवी वीटी-72 बी के ओवरहाल के लिए तैयार/सक्षम थी। एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 के मामले में, हालाँकि बीईएमएल ने 1999 में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टीओटी) के लिए ओईएम अर्थात् मेसर्स बूमर, पोलंड के साथ करार किया था,

परंतु रख-रखाव के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं लिया था और इसीलिए ओवरहाल के लिए आधारभूत संरचना स्थापित नहीं कर सका। वर्ष 2010 में जब ओईएम (सेनज़िन, एक पोलिश फर्म) ने दोनों एआरवी के लिए ओवरहाल सुविधा स्थापित करने की इच्छा जताई, तब नवम्बर 2011 में 512 एबीडब्ल्यू में एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3 के ओवरहाल सुविधा को बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी करने हेतु प्रस्ताव की माँग (आरएफपी) को जारी किया गया। इसके फलस्वरूप, रक्षा मंत्रालय ने, सितम्बर 2013 में ₹ 8.36 करोड़ (यूएस \$ 1,356,202) की लागत पर ओवरहाल सुविधा स्थापित करने हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए ओईएम के साथ परामर्श करार संपन्न किया। इस फर्म ने जून 2015 में डीपीआर प्रस्तुत किया, जो सेना मुख्यालय में विचाराधीन (मार्च 2016) था।

इस प्रकार, एआरवी वीटी-72 बी के शामिल होने के 20 वर्षों तथा एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3 के 15 वर्षों के पश्चात् भी कोई भी ओवरहाल सुविधा का निर्माण नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, 35 प्रतिशत एआरवी वीटी-72 बी फील्ड सेना में क्रिटिकल पुर्जों के अभाव के कारण ऑफ-रोड तथा अकार्यात्मक थे तथा बकाया फ्लिट की मिशन विश्वसनीयता 50 प्रतिशत ही थी। इसके अलावा 2016-17 के बाद ओवरहाल के लिए देय एआरवी डब्ल्यूझेड टी-3 को तब तक ओवरहाल नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ओवरहाल की सुविधा का निर्माण नहीं किया जाता।

3.2.3 टैंक टी-90 के लिए घटक स्तरीय मरम्मत(सीएलआर) हेतु आधारभूत संरचना की निर्मिती में विलंब

फरवरी 2001 में ओईएम अर्थात् मेसर्स रोज़ोबोरोनएक्सपोर्ट (आरओई) के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के माध्यम से रूस से कुल 310 टी-90 टैंकों को प्रारंभिक रूप में आयात किया गया और 2001-05 के दौरान उन्हें सेना में शामिल किया गया। अनुबंध को अंतिम रूप देने समय उपकरण के रखरखाव के कुछ पहलुओं को औपचारिक रूप नहीं दिया जा सका। परिणामस्वरूप सितम्बर 2000 में एक संलेख हस्ताक्षरित किया गया जिसमें, ओईएम ने इस बात की पुष्टि की, कि टी-90 के घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) के लिए तकनीकी दस्तावेजों को उनके द्वारा एक अन्य अनुबंध के द्वारा दिया जाएगा, जिसका मोलभाव टैंकों के आयात के लिए मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के छह महीने बाद में किया जाएगा। अतः अगस्त 2001 में सीएलआर के लिए बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी।

तथापि, हमने देखा कि, घटक स्तरीय मरम्मत का मामला 2004 में ही प्रारंभ किया गया और ₹ 287 करोड़ के अनुमानित लागत पर अगस्त 2006 में रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई। मामले की प्रक्रिया में और भी देरी हुई और अक्टूबर 2017 की पीडीसी के साथ ₹ 1896 करोड़ की कुल लागत पर सितम्बर 2014 में, ओईएम के साथ अनुबंध पूरा किया गया।

हमने पाया कि, टी-90 का पहला मीडियम रिपेयर(एमआर) 2011-12 में देय हो गया था तथा विभिन्न एसेम्बलियों की कमी के कारण 75 टैंक ऑफ रोड थे। उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, 2001 के अनुबंध में रूसी फर्म द्वारा सीएलआर के लिए प्रस्ताव पेश करने की तिथि को नहीं दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप सीएलआर परियोजना के प्रारंभ होने में विलंब तथा लागत में बढ़ोत्तरी हुई। मरम्मत के लिए रखी गई अनुपयोगी एसेम्बलियों के संबंध में, यह बताया गया कि, 310 मीडियम रिपेयर किट्स की अधिप्राप्ति का मामला रक्षा मंत्रालय में प्रगति पथ पर था। मरम्मत कार्य पुर्जों की उपलब्धता, जो अक्टूबर 2016 से निर्धारित है, पर प्रारंभ होगा।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, सितम्बर 2000 में हस्ताक्षरित किए गए संलेख में मुख्य अनुबंध के हस्ताक्षरित होने के छह महीने पश्चात् में ईएसपी के लिए अलग अनुबंध किए जाने का प्रावधान था। सीएलआर के अनुबंध को अंतिम रूप देने में हुए असामान्य विलंब का परिणाम न सिर्फ लागत में अत्यधिक बढ़ोत्तरी में हुआ बल्कि, अनुपयोगी उपकरणों को धारण करने के कारण सेना की सामरिक सुसज्जता भी प्रभावित हुई।

3.2.4 एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं की कमी

एमबीटी अर्जुन को लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (सीवीआरडीई) द्वारा विकसित किया गया था और इसका निर्माण एचवीएफ, आवडी में किया गया था। 2004-05 के बाद से सेना में 124 टैंकों को शामिल किया गया था। यह टैंक 2020-21 से ओवरहाल के लिए देय है। इन्हें शामिल करने के समय, 69 प्रतिशत घटकों का आयात किया गया था। यह दो एजन्सीज़ (सीवीआरडीई तथा एचवीएफ) स्वदेशीकरण या आयात के द्वारा फ्लीट के जीवनचक्र के दौरान उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक घटकों का प्रावधान करने के लिए उत्तरदायी थीं। तथापि, सीवीआरडीई द्वारा आवश्यक घटकों का स्वदेशीकरण करने में असफल रहने के कारण, एचवीएफ किसी भी पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पाया। पुर्जों की सहायता न मिलने के कारण एमबीटी अर्जुन 2013 के बाद परिचालित नहीं किया जा रहा था। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2015 में डीआरडीओ को निर्देश दिए कि, वह 90% प्रचालन क्षमता के साथ 20 टैंक को अगस्त 2015 तक तैयार करें तथा इसके लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति को अर्जुन टैंक को दीर्घ कालावधि के लिए परिचालित रखने हेतु एक एसओपी बनाने के लिए भी निर्देश दिए।

उपरोक्त बातों की विद्यमान स्थिति के संबंध में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ओवरहाल के लिए एचवीएफ, आवडी के नामांकन का प्रस्ताव अक्तूबर 2015 में रक्षा मंत्रालय को प्रस्तावित किया गया था।

3.3 मंजूरी के तेरह वर्षों के पश्चात भी टूलिप परियोजना का अकार्यान्वयन

जनवरी 2003 में रक्षा मंत्रालय ने रु. 22.54 करोड़ की लागत पर बीएमपी II/II के हेतु संचार तथा नाइट विजन संयंत्रों की मरम्मत/ओवरहाल के लिए न्यूक्लियस के रूप में 512 एबीडब्ल्यू में अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करने के लिए टूलिप परियोजना को संस्वीकृत किया था। इस संस्वीकृति में ₹ 19.64 करोड़ लागत पर 246 प्लांट, मशीनरी तथा विशेष उपकरण (पीएमएसई) की अधिप्राप्ति भी शामिल थी। ₹ 19.64 करोड़ के उपकरण की संस्वीकृत लागत में संचार तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों की लागत क्रमशः ₹ 2.32 करोड़ तथा ₹ 8.34 करोड़ थी।

हमने देखा कि, इस परियोजना को समापन की संभावित तिथि (पीडीसी) के बिना संस्वीकृत किया गया था। इसके अलावा पीएमएसई की स्थानीय खरीद तथा रख रखाव के लिए फरवरी 2006 तक 512 एबीडब्ल्यू के कमांडेंट को परियोजना विशिष्ट वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए गए थे। वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के पश्चात 512 एबीडब्ल्यू के कमांडेंट ने नवंबर 2015 तक ₹ 3.85 करोड़ राशि के 166 पीएमएसई की अधिप्राप्ति की। अन्य पीएमएसई, लागत बढ़ोतरी के कारण अधिप्राप्त नहीं किए जा सके। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पता चला कि परियोजना की संस्वीकृत लागत के भीतर अधिप्राप्ति को रखने के लिए डीजीईएमई ने मूलतः संस्वीकृत 48 पीएमएसई का विलोपन तथा ₹ 5.99 करोड़ की बढ़ी हुई लागत पर 32 पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अनुमोदन जुलाई 2015 में दिया। निकाली गई पीएमएसई (मूलतया ₹ 9.08 करोड़ की संस्वीकृत लागत) में कॉलिमेटर्स भी शामिल थे जो कि विजन संयंत्रों के ओवरहाल के लिए आवश्यक होते हैं।

उत्तर में, बीडब्ल्यूजी मुख्यालय ने बताया (सितंबर 2015) कि, कॉलिमेटर्स की तकनीकी विशिष्टताएँ वर्कशॉपों द्वारा विभिन्न एजन्सीज़ को मिलने पर भी फलीभूत नहीं हो पायी। अब विजन संयंत्रों के ओवरहाल का कार्य ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फॅक्टरी (ओएलएफ) देहरादून द्वारा किया जा रहा था क्योंकि, उन्होंने बीएमपी के विजन संयंत्रों की संपूर्ण आवश्यकता के साथ ओवरहाल की जिम्मेवारी को स्वीकार किया था। एमजीओ (मई 2016) ने स्वीकार किया कि, ओवरहाल के लिए आवश्यक सभी पीएमएसई को अभी तक अधिप्राप्त नहीं किया गया है।

3.4 ₹6.53 करोड़ मूल्य की प्रूफ फायरिंग सुविधा का उपयोग न किया जाना तथा प्रूफ फायरिंग के बगैर युनिटों को ओवरहाल किए गए बीएमपी का जारी किया जाना

बीएमपी II का 512 एबीडब्ल्यू द्वारा 2004 से ओवरहाल किया जा रहा था। गुणवत्ता आश्वासन एजन्सी (डीजी क्यूए)के अनुसार, ओवरहाल किए गए आयुध की अति महत्वपूर्ण गुणवत्ता जाँच, समायोजन फायरिंग है जो 30 एमएम कॅनन गन तथा 7.62 एमएम को-एक्सियल मशीन गन के फायरिंग के द्वारा की जानी होती है। चूँकि एबीडब्ल्यू के पास यह सुविधा नहीं थी, इसलिए 2008 में प्रूफ फायरिंग के लिए एक विशेष कार्य प्रस्तावित किया गया।

हालाँकि, प्रूफ फायरिंग की सुविधा के लिए चयन की गई जगह दूरस्त क्षेत्र में थी और विद्युत और जल के लिए एमईएस सेवाएँ वहाँ उपलब्ध नहीं थी अपितु इन आवश्यक सेवाओं का प्रावधान प्रशासनिक अनुमोदन में नहीं था। परिणामस्वरूप ₹ 6.53 करोड़ की लागत पर नवम्बर 2013 में निर्मित इस सुविधा में विद्युत तथा जल का कनेक्शन नहीं था और इसीलिए एबीडब्ल्यू द्वारा इसे नहीं लिया जा सका(मार्च 2016)। अब इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए एक अलग प्रस्ताव की शुरुआत (जुलाई 2015) की गई थी तथा यह प्रक्रियाधीन था।

इस प्रकार, ओवरहाल किए गए बीएमपी- II/ IIके को टेस्ट फायरिंग किए बगैर ही युनिटों तथा फार्मेशनों को भेजा जाना जारी रहा। इसके फलस्वरूप, 30 एमएम गन की बैरल स्प्रिंग ऐसम्बलिज़ में त्रुटियाँ/विफलताएँ युनिट/फार्मेशन द्वारा सूचित की गई। इन त्रुटियों की जाँच के दौरान, डीजीक्यूए ने 512 एबीडब्ल्यू द्वारा ओवरहाल की गई गनों के 20 मामलों में त्रुटियों पायी(फरवरी 2014)। उन्होंने यह भी बताया कि, आयुध फॅक्टरी के द्वारा ओवरहाल की गई गनों में जहाँ पर यह टेस्ट किए जाते थे, ऐसा कोई मामला नहीं देखा गया।

उत्तर में, एमजीओ ने यह स्वीकार किया (मई 2016) कि, हालाँकि अप्रैल 2014 में 512 एबीडब्ल्यू को प्रूफ फायरिंग सुविधा सौंपी गई थी, पर उसे विद्युत तथा जल आपूर्ति के अभाव में उपयोग में नहीं लाया जा सका। आगे यह भी कहा गया कि, कॉलिजिएट, जो बैरल स्प्रिंग की असफलता के मुद्दे का समाधान करने के लिए आयोजित किया गया था, ने प्रूफ फायरिंग की कमी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया।

3.5 एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण में विलंब

11 वीं सेना योजना(2007-2012) के अनुसार, सभी 8 एबीडब्ल्यू का आधुनिकीकरण किया जाना था। इन एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को इसलिए महसूस किया गया था क्योंकि, तकनीकी तथा प्रशासनिक आधारभूत संरचना जिसमें, प्लांट तथा मशीनरी शामिल थे, का बहुत बड़ा भाग बहुत ही पुरातन था और अपनी आयु उपयोगिता की समाप्ति की कगार पर था तथा नई शामिल की गई अत्याधुनिक शस्त्र पद्धतियों तथा उपकरण को बनाए रखने में तकनीकी रूप से अपर्याप्त तथा पुरातन थी। पाँच चयनित एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण प्रस्तावों की लागत ₹ 1781.44 करोड़ थी जैसा कि नीचे तालिका-24 में निर्दिष्ट किया गया है।

तालिका 24: आधुनिकीकरण प्रस्तावों की लागत

एबीडब्ल्यू का नाम	प्रस्ताव का मूल्य(₹ करोड़ में)
505 एबीडब्ल्यू	200.00
509 एबीडब्ल्यू	458.34
510 एबीडब्ल्यू	381.01
512 एबीडब्ल्यू	636.65
515 एबीडब्ल्यू	105.44
कुल	1718.44

एबीडब्ल्यू के प्रस्तावों को एमजीओ द्वारा स्वीकार किया गया तथा इन पाँच एबीडब्ल्यू के विषय में डीपीआर की तैयारी हेतु मार्च 2010 तथा दिसंबर 2012 के बीच ₹ 6.51 करोड़ की लागत पर परामर्श अनुबंध को रक्षा मंत्रालय (सेना) के आयएचक्यू द्वारा समाप्त किया गया था। तथापि, 505 तथा 510 एबीडब्ल्यू का जून 2014 और 512 एबीडब्ल्यू का जून 2015 में ही डीपीआर पूरा हो पाया। शेष दो एबीडब्ल्यू के लिए डीपीआर परामर्शकर्ताओं द्वारा सितम्बर 2016 में ही दिए गए।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, अत्यधिक आवश्यक आधुनिकीकरण ने अपनी गति प्राप्त की है तथा 2021-22 तक पूरा होने की संभावना है।

3.6 अनुमोदित वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अप्रभावपूर्ण कार्यान्वयन

नई उपकरण रूपरेखा तथा पुरातन मशीनरी के प्रतिस्थापन की वजह से उभरी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मरम्मत/ओवरहाल प्रकार्यों के लिए पीएमएसई की अधिप्राप्ति के लिए एबीडब्ल्यू प्रस्तावों की शुरुआत करते हैं। एबीडब्ल्यू द्वारा प्रक्षेपित पीएमएसई को वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट किया जाता है। हमने पाया कि, वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 196.09 करोड़ मूल्य के कुल 226 पीएमएसई पीपीपी में समाविष्ट करने के लिए एमजीओ द्वारा अनुमोदित किए गए थे। तथापि, इस अवधि के दौरान पूँजी तथा राजस्व शीर्षों के अधीन कुल आबंटन मात्र ₹ 6.20 करोड़ ही था। इससे यह सांकेतिक होता है कि, पीएमएसई की अधिप्राप्ति के लिए निधि का आबंटन अनुमोदित पीपीपी में समाविष्ट पीएमएसई के मूल्य के अनुरूप नहीं था। हमने यह भी देखा कि, आबंटित निधि में से मात्र ₹ 2.35 करोड़ अर्थात् 38 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया गया। 226 में से 192 पीएमएसई लेखापरीक्षा में चयनित पाँच एबीडब्ल्यू से संबंधित थे जिनमें से मात्र 31 पीएमएसई को ही अधिप्राप्त किया गया था।

पीएमएसई की अप्राप्ति पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, डीजीईएमई ने बताया (अगस्त 2015) कि, पीएमएसई की अप्राप्ति एबीडब्ल्यू की कार्यक्षमता पर प्रभाव डाल सकती है क्योंकि पुराने पीएमएसई, जिनको पीपीपी के तहत बदलने की माँग की गई थी, के सहारे ओवरहाल का कार्य किया जा रहा था।

एमजीओ ने यह भी बताया (मई 2016) कि, निधि का आबंटन पर्याप्त था और मामलों की प्रगति के अनुसार किया गया था। वास्तविक आबंटन तभी माँगा जाता है जब मामले वित्तीय सहमति स्तर पर पहुँच जाते हैं। यह भी कहा गया था कि, सभी मामले जो पीपीपी में सूचिबद्ध थे, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिप्राप्त किए जाएंगे।

3.6.1 निस्सारी उपचार संयंत्र (ईटीपी) का गैर-प्रतिस्थापन

512 एबीडब्ल्यू ने मौजूदा ईटीपी, जिसकी उपयोगी आयु समाप्त हो चुकी थी, को बदलने के लिए नई ईटीपी की अधिप्राप्ति के लिए एक प्रस्ताव (अप्रैल 2012) की शुरुआत की। एबीडब्ल्यू जोखिम भरे निस्सारी तथा रसायनों को संभालता है जो, प्रक्रिया के दौरान जमा होता रहता है। पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए उसे नालियों में छोड़ने से पहले निष्प्रभाव भी किया जाना आवश्यक है। हमने देखा कि, हालाँकि ईटीपी के प्रतिस्थापन को वर्ष 2009-10 के वरीयता अधिप्राप्ति प्लान (पीपीपी) में समावेश किया गया था, परंतु इसकी अधिप्राप्ति अभी भी (मार्च 2016) की जानी बाकी थी। यह भी देखा गया है कि, निस्सारी कार्य हाथों से किया जा रहा था जो कि, बहुत ही असुरक्षित तथा अक्षम अभ्यास है। इस औद्योगिकीय मल का रिसाव नालियों में किया जाता था।

उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, ईटीपी को अधिप्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि, इसकी विशिष्टताएँ तथा विक्रेताओं द्वारा दिए गए बजटीय दाम में भिन्नता थी तथा इसलिए तय नहीं किए जा सके। आगे यह भी कहा गया कि, वित्तीय अधिकारों के नए प्रत्यायोजन के जारी होने के पश्चात, 2016-17 के राजस्व अधिप्राप्ति योजना में इसे शामिल किया गया था और इसकी अधिप्राप्ति वर्ष 2016-17 में की जा सकेगी। इस उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि, 2009-10 के पीपीपी में अधिप्राप्ति प्रस्ताव में समावेश होने के बावजूद, ईटीपी की विशिष्टताओं को अभी भी तय किया जाना बाकी था।

निष्कर्ष

नए शामिल किए गए उपकरणों के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु तथा वर्कशॉप के आधुनिकीकरण के लिए कोई दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना नहीं बनाई गई थी। उपकरण के शामिल होने के समय आधारभूत संरचना को बनाने की योजना में विफलता ने ऐसी परिस्थिति कर दी कि, सुविधाओं की निर्मिती असामान्य देरी से की गई, जिसकी वजह से देरी से किए जाने वाले ओवरहालने न सिर्फ सामरिक सुसज्जता को प्रभावित किया बल्कि किए गए व्यय को भी निष्फल कर दिया।

नए शामिल की गई अत्याधुनिक शस्त्र पद्धति तथा उपकरणों को बनाए रखने के लिए एबीडब्ल्यू के वर्तमान प्लांट तथा मशीनरी तकनीकी रूप से अपर्याप्त तथा पुरानी थी। एबीडब्ल्यू में आधारभूत संरचना के उन्नयन संबंधी आधुनिकीकरण के प्रस्ताव लंबित थे तथा कुछ मामलों में जहाँ वे मंजूर हुए वहाँ या तो निधियों की कमी या निधियों के अप्रयुक्ति के कारण अधिप्राप्ति प्रभावी नहीं रहीं।

सिफारिशें

1. नामित एबीडब्ल्यू में योजना तथा आधुनिकीकरण प्रकार्यों की सुविधा के लिए दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उपकरण के ओवरहाल के लिए देय होने के समय तक ओवरहाल सुविधा तैयार की जा सके।
2. उपकरण के शामिल होने के समय ही मरम्मत/ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिती को योजनाबद्ध तथा करारबद्ध किया जाना चाहिए ताकि समय पर उसका लाभ उठाया जा सके और उपकरण के संपूर्ण आयु चक्र के दौरान सुविधा को उपयोग में लाया जा सके।
3. दृष्टि संयंत्रों का ओवरहाल अब ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी (ओएलएफ), देहरादून में किया जा रहा है क्योंकि, बीएमपी के दृष्टि संयंत्रों के संपूर्ण आवश्यक घटकों के ओवरहाल की जिम्मेवारी को उन्होंने स्वीकार किया था। इस विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय 512 में अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना हेतु ट्यूलिप परियोजना की व्याप्ति तथा क्रियान्वयन की संवीक्षा कर सकती है।
4. वर्तमान में उपयोग में लायी जा रही पुरानी पीएमएसई के कारण उत्पन्न समस्याओं से उभरने के लिए तथा नई पीढ़ी की शस्त्र पद्धतियों को बनाए रखने के लिए एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण के लिए सेना मुख्यालय द्वारा एक समयबद्ध कार्रवाई योजना को बनाया जाना चाहिए।
5. टी-90 टैंक की मरम्मत सुविधा को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय को घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) परियोजना को शीघ्रता से लाना चाहिए।
6. जैसा कि 2020-21 से एमबीटी अर्जुन ओवरहाल के लिए देय हैं तो, मंत्रालय को एमबीटी अर्जुन के घटकों के स्वदेशी विकास तथा मरम्मत और ओवरहाल सुविधाओं के बारे में गौर करना चाहिए और उसमें तेजी भी लानी चाहिए।
7. सेना मुख्यालय को 512 एबीडब्ल्यू में शूटिंग गैलरी के प्रचालन एवं ओवरहाल की गई गन की टेस्ट फायरिंग के लिए गोलाबारूद के आवश्यक प्राधिकरण में शीघ्रता लानी चाहिए।

अध्याय-IV: पुर्जों का प्रबंधन

4.0 परिचय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा (1992 की रिपोर्ट संख्या 14) आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन की संवीक्षा की गई, जिसमें मरम्मत योग्य उपकरणों की अनुपलब्धता तथा पुर्जों के खराब बँकअप के कारण एबीडब्ल्यू की पूरी क्षमता की अनुप्रयुक्तता को रेखांकित किया था।

कार्रवाई की गई टिप्पणी में, मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2000) कि, उपकरण को शामिल करने से पहले उपकरण प्रबंधन नीति (अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदण्ड) के द्वारा वास्तविक लक्ष्यों के पूर्वानुमान तथा उसको हासिल करने के लिए विविध कदम उठाए गए थे। मंत्रालय ने पुर्जों की उपलब्धता के पुनरीक्षण हेतु वार्षिक, अर्धवार्षिक तथा तिमाही बैठकों के आयोजन का सुझाव भी दिया था।

एबीडब्ल्यू द्वारा लक्ष्यों की अप्राप्ति संबंधी टिप्पणी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2005 के प्रतिवेदन की संख्या 6 (पैरा 3.1) में भी की गई थी। कार्रवाई की गई टिप्पणी में, मंत्रालय ने यह स्वीकार (नवम्बर 2006) किया कि लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण पुर्जों की अनुपलब्धता था। पुर्जों की अनुपलब्धता की समस्याओं से उभरने के लिए विभिन्न कार्रवाईयाँ, जैसे कि, हित धारकों के साथ समय-समय पर बैठकों का आयोजन, लक्ष्य निर्धारण बैठक तथा मध्यावधि पुनरीक्षण बैठकों के दौरान चर्चा करना तथा जहाँ कहीं भी अभियांत्रिकी मानदंड पूरे होते हैं, वहाँ अत्यावश्यक माँग को पूरा करने के लिए, सीमित स्थानीय खरीद इत्यादि, मंत्रालय द्वारा की गई थी।

एटीएन के जरिए मंत्रालय द्वारा लिए गए सुधारात्मक कदमों के बावजूद, पुर्जों की अनुपलब्धता जारी रही, जो कि, ओवरहाल लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य बाधा बनी रही। हमने प्रावधानीकरण सहित पुर्जों के प्रबंधन के उपायों के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया। डीजीईएमई, एचक्यू बीडब्ल्यूजी, एबीडब्ल्यू तथा फीडिंग आयुध डिपो के रिकार्डों का हमारा परीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रकट करता है:

4.1 पुर्जों का प्रावधान

एमजीओ की अध्यक्षता में लक्ष्यों के निर्धारण तथा संशोधन पर वार्षिक संवीक्षा बैठकों में एबीडब्ल्यू के ओवरहाल के लिए लक्ष्यों को तय किया जाता है। तदनुसार, डीजीओएस सेना में रखरखाव तथा ओवरहाल के लिए वाहनों की कुल संख्या निर्दिष्ट करते हुए विशेष प्रावधान पुनरीक्षण निर्देश (एसपीआरडी) जारी करते हैं। निर्देशों के अनुसार, ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों तथा सामग्रियों की पूर्व प्रावधान की जिम्मेदारी फीडिंग डिपो की है अर्थात् सीएएफवीडी तथा सीओडी। एसपीआरडी के आधार पर, पुर्जों के प्रावधान के लिए संबंधित फीडिंग डिपो द्वारा कार्रवाई की शुरुआत की जानी आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया एबीडब्ल्यू के उत्पादन वर्ष से पाँच वर्ष पूर्व शुरु होनी चाहिए। फीडिंग डिपो आवश्यक पुर्जों को आयुध फक्ट्रियों, पीएसयू तथा व्यापार के माध्यम से प्राप्त करते हैं।

प्रत्येक वर्कशॉप को विशेष रूप से समन्वय तथा पुर्जों की समय पर उपलब्धता की सुविधा के लिए आयुध भंडार अनुभाग (ओएसएस) प्रदान किया गया है। प्रत्येक वर्ष के जून माह में, अर्थात् उत्पादन वर्ष के नौ महीने पहले, फीडिंग डिपो को ओवरहाल कार्यक्रम के अनुसार पुर्जों की माँग रखने के लिए ओएसएस जिम्मेवार है।

4.1.1 पुर्जों की आपूर्ति में आयुध डिपो की असफलता

पुनरीक्षण अवधि के दौरान, एबीडब्ल्यू के ओएसएस रिकार्डों से यह पता चला कि, माँगे गए पुर्जे आवश्यक रेंज¹⁶ तथा मात्रा¹⁷ में वर्कशॉप को डिपो द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं हुए। अनुपलब्धता का विवरण नीचे तालिका-25 में सारांश रूप में दिया गया है:-

तालिका 25: वर्ष के दौरान में सामग्रियों की अनुपलब्धता

वर्ष	512 एबीडब्ल्यू @			505 एबीडब्ल्यू #			510 एबीडब्ल्यू *		
	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत	माँग की गई सामग्रियों के प्रकार	प्राप्त हुई सामग्रियों के प्रकार	अनुपलब्धता का प्रतिशत
2010-11	1580	996	37	4894	2757	44	12612	3514	72
2011-12	2565	1942	24	5702	2758	43	9497	3169	67
2012-13	2267	1501	34	3386	1664	50	9380	2649	72
2013-14	2490	2008	19	4541	2080	54	6260	1656	74
2014-15	2741	2060	25	4274	2426	43	9684	3041	69
2015-16	3520	2640	25	8320	4242	49	6992	2701	61

@ बीएमपी के लिए सीएफवीडी, किरकी से सामग्रियों की माँग
टैंक टी-72 के लिए सीएफवीडी, किरकी से सामग्रियों की माँग
*सभी सीओडी से माँगी गई कुल सामग्रियों

512 एबीडब्ल्यू में यह देखा जा सकता है कि, बीएमपी की कुल सामग्रियों के पुर्जों की अनुपलब्धता की प्रतिशतता 19 से 37 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, 505 एबीडब्ल्यू तथा 510 एबीडब्ल्यू में अनुपलब्धता प्रतिशतता क्रमशः 43 तथा 54 प्रतिशत और 61 तथा 74 प्रतिशत के बीच थी।

हमने देखा कि, 512 एबीडब्ल्यू में कुछ उत्पादन होल्ड अप सामग्रियाँ जैसे कि क्रॉक शाफ्ट एसम्बली (ओवरहाल मापन के अनुसार ओवरहाल किए गए प्रत्येक दस इंजिनों में से चार को नए के साथ बदला जाना है), जो यूटीडी 20 इंजन के ओवरहाल के लिए आवश्यक थी, 2012-13 से उपलब्ध नहीं हो पायी। यूटीडी 20 इंजिनों के लिए आवश्यक रेंज तथा मात्रा में पुर्जों की अनुपलब्धता की वजह से सुविधाओं को चलाने के लिए 512 एबीडब्ल्यू द्वारा फीडिंग डिपो से अतिरिक्त मरम्मतीय इंजिनों को बुलाना पड़ा। इसके फलस्वरूप 512 एबीडब्ल्यू में ओवरहाल के लिए मार्च 2016 तक 100 इंजिनों का संचय हुआ। बीएमपी वाहनों (ओवरहाल मापन है 40 इंजिन प्रति 100) के ओवरहाल के लिए यूटीडी 20 इंजन भी प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार वर्कशॉप ने नए इंजिनों की बजाय ओवरहाल किए गए इंजिनों का उपयोग किया।

इसी प्रकार, 505 एबीडब्ल्यू में कुछ उत्पादन होल्ड अप सामग्रियाँ जैसे कि, ईआरए बॉक्स¹⁸, ट्रैंक एसम्बली, एस-34 अंतरिम संचार संयंत्र, नाइट साइट्स (टीकेएन-3 तथा टीपीएन-1-49-23) 2012-13 से पूरी मात्रा में अनुपलब्ध रहे। ईआरए बॉक्स टैंक को एन्टी टैंक गोला बारूद से बचाने के लिए, ट्रैंक एसम्बली वह भाग है, जिस पर टैंक आगे बढ़ता है जबकि, नाइट साइट्स रात्री दृष्टि प्रदान करती है। इन सामग्रियों की निरंतर अनुपलब्धता के कारण, टैंकों का ओवरहाल विचलन संस्वीकृतियों के साथ पूरा किया गया, जिसने टैंकों की सामरिक क्षमता को प्रभावित किया।

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 509 एबीडब्ल्यू के रिकार्डों के हमारे परीक्षण ने यह उद्घाटित किया कि, वर्कशॉप द्वारा माँगे गए पुर्जों की सीओडी, आगरा द्वारा संपूर्ण रेंज तथा मात्रा में आपूर्ति नहीं की गई। 2010-11 से

¹⁶पुर्जों के प्रकार- ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों के कुल प्रकार।

¹⁷पुर्जों की मात्रा - विशिष्ट पुर्जों की आवश्यक मात्रा।

¹⁸ईआरए बॉक्स- टैंकमार गोला-बारूद से बचाव करने के लिए प्रदान किया जाता है, ओवरहाल में नई एसम्बली की जगह मरम्मत की गई पुरानी ट्रैंक एसम्बली को जोड़ा गया। एस-34 की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक संचार संभव नहीं होता व नाइट साइट्स (टीकेएन-3 तथा टीपीएन-1-49-23) की गैर-मौजूदगी से प्रभावित टैंकों में रात्री दृष्टि क्षमता मौजूद नहीं थी।

2015-16 की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपकरण जैसे कि रडार, रेडियो, लाइन तथा ऑप्टो इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के विषय में, पुर्जों की अपालन प्रतिशतता क्रमशः 36 से 52, 61 से 76, 71 से 94 तथा 64 से 93 थी। आपूर्ति विलंबन में 72 प्रकारों के पुर्जे शामिल थे जो पाँच वर्षों से ज्यादा लंबित थे।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, उत्पादन होल्ड-अपों के लिए पुर्जों की न्यूनतम उपलब्धता एक प्राथमिक कारण था तथा एबीडब्ल्यू द्वारा लक्ष्यों से फिसलन तथा कम निष्पादन होने का मुख्य कारण, आयुध फैक्ट्रियों/ डीपीएसयू द्वारा पुर्जों की डिलिवरी नहीं हो पाना था।

ओएफ/डीपीएसयू द्वारा पुर्जों की आपूर्ति में विलंब/अनापूर्ति के कारण फीडिंग डिपो के पुर्जों के कम अनुपालन ने ओवरहालों के लक्ष्यों को प्रभावित कर दिया, जिसने ओवरहाल में बहुतायत से बॅकलॉग की ओर अग्रसर किया और फलस्वरूप फील्ड सेना में उपकरण की उपलब्धता को प्रभावित किया, जिससे सामरिक सुसज्जता में गिरावट आ गई।

4.1.2 सीएफवीडी, किरकी द्वारा पुर्जों की माँग को रखे जाने में विलम्ब

सेना मुख्यालय अनुदेशों के अनुसार, प्रावधान पुनरीक्षण की तिथि से दो महीने के भीतर आयुध डिपो द्वारा माँग/आपूर्ति आदेशों को दिया जाना चाहिए। पुनरीक्षण अवधि के दौरान डिपो द्वारा किए गए प्रावधानों के परीक्षण हेतु नमूना जाँच के रूप में टैंक टी-72 तथा बीएमपी के तेईस क्रिटिकल पुर्जों को जाँचा गया।

हमने देखा कि, सात मामलों में, माँग पत्र जो कि कमांडंट सीएफवीडी के वित्तीय अधिकारियों के अन्तर्गत नहीं आते थे, अधिप्राप्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के आईएचक्यू को भेजे गए। इन मामलों में या तो सीएफए से मंजूरी पाने में विलम्ब हुआ या मंजूरी प्रदान नहीं की गई तथा जिन मामलों में मंजूरी में विलम्ब हुआ था उन मामलों में सीएफवीडी द्वारा आपूर्ति आदेश नहीं रखे गए थे। शेष 16 मामलों में, पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए सीएफवीडी के कमांडंट द्वारा मंजूरी दी गई थी तथा इनके आपूर्ति आदेश निजी विक्रेताओं को दिए गए थे। फर्मों से भण्डारों की आपूर्ति में असफलता की मुख्य वजह से, इन सभी आपूर्ति आदेशों को सितंबर 2011 से फरवरी 2012 के दौरान रद्द कर दिया गया था। तत्पश्चात, सभी 23 सामग्रियों की आपूर्ति के लिए आयुध फैक्ट्रियों को मार्च 2012 में माँगपत्र भेजे गए। संयोग से इन सभी आपूर्ति आदेशों को निजी विक्रेताओं को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी जैसा कि रक्षा मंत्रालय दिशानिर्देशों (मार्च 2002) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि, टी-72 एवं बीएमपी के सभी पुर्जों की अधिप्राप्ति को ओईएम अर्थात् आयुध फैक्ट्रियों से पूरा किया जाना था।

सभी चयनित 23 मामलों में, ओईएम को भेजे गए आपूर्ति आदेशों को रखे जाने में असामान्य विलम्ब हुआ जो कि 725 से 2551 दिनों के बीच था।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (जुलाई 2016) कि, आपूर्ति का एकल स्रोत/मापन में घटाव, सीएफए से संस्वीकृति प्राप्ति में प्रक्रियागत विलंब, डीजीक्यूए निरीक्षण मसलें, टीपीसी माँग-पत्रों का रद्द होना तथा सामग्रियों का फैक्टरी के बिल में न होने के कारण, विलंब हुए।

यह उत्तर इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि, संगठन में आंतरिक विलंब अधिप्राप्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार, ओवरहाल के उत्पादन वर्ष के शुरूआत में एबीडब्ल्यू को ओवरहाल के लिए आवश्यक पुर्जों को जारी करने के लिए अधिप्राप्ति के पाँच वर्षों के पूर्व नियोजन के मुख्य उद्देश्य को ही इसने विफल कर दिया।

4.1.3 आयुध फैक्टरियों पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना

टैंक टी 72 तथा बीएमपी के लिए ओईएम होने के कारण आयुध फैक्टरियों (ओएफ) को पुर्जों का मनोनित सप्लायर बनाया गया है। इन लड़ाकू वाहनों के पुर्जों के लिए सीएफवीडी, किरकी संबंधित ओएफ को माँगपत्र देता है। सभी हित धारकों, जिसमें ओएफबी से प्रतिनिधि भी शामिल हैं, के साथ, उचित विचार विमर्श के पश्चात एमजीओ द्वारा फैक्टरियों के लिए पुर्जों की आपूर्ति हेतु वार्षिक लक्ष्यों को निश्चित किया जाता है। हमने देखा कि, हालाँकि, आयुध फैक्टरियों की पुर्जों की आपूर्ति की अंतरिम अवधि¹⁹(आयपी) 36 महीने थी, परंतु फैक्टरियाँ पर्याप्त रेंज तथा मात्रा में पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पायी।

हमारे परीक्षण से यह उद्घाटित हुआ कि, सितंबर 2015 तक, सीएएफवीडी द्वारा मार्च 2013 तक रखे गए 15240 माँगपत्र, श्रेणी 'ए' वाहनों के लिए पुर्जों की आपूर्ति के लिए जिम्मेवार नौ फैक्टरियों के पास, डिलिवरी के लिए अतिदेय हो गए थे। जहाँ तक बीएमपी, टैंक टी 72 तथा इन दोनों वाहनों के इंजनों के लिए पुर्जों की आपूर्ति का संबंध है, एचवीएफ, आवडी, ईएफ, आवडी तथा ओएफ, मेडक से क्रमशः 10499, 11122 तथा 2749 माँग-पत्रों की आपूर्ति प्रतिक्षित थी। इसमें 2002-03 से ईएफ, आवडी तथा 2003-04 से एचवीएफ के बकाया माँगपत्र शामिल थे।

4.1.4 पीएसयू पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना

(i) टाट्रा वाहन, जो श्रेणी 'बी' अर्थात् गैर-लड़ाकू वाहन है तथा टैंकों के यातायात के लिए व मिसाइल लॉन्चर, गन-टोईंग ट्रक्टर, गोलाबारूद वहन करने, मीडियम रिकवरी वाहनों इत्यादि के रूप में भी भारतीय सेना में प्रयोग में लाए जाते हैं। टाट्रा वाहनों का ओवरहाल मेरठ तथा इलाहाबाद के एबीडब्ल्यू द्वारा किया जाता है। सीओडी, देहरोड इनका फीडिंग डिपो है और मेसर्स बीईएमएल, बंगलुरु टाट्रा वाहन के सभी पुर्जों की आपूर्ति तथा संकलन के लिए मनोनित है।

सीओडी, देहरोड के निरीक्षण में हमने पाया कि, टाट्रा वाहन/इंजिन के पुर्जों की आपूर्ति के लिए 2008-14 अवधि के दौरान बीईएमएल पर रखे गए 142 आपूर्ति आदेश (997 सामग्रियाँ) कार्यान्वित नहीं हो पाए।

आगे, बीईएमएल, बंगलुरु के रिकार्डों के हमारे परीक्षण से यह पता चलता है कि, 795 सामग्रियों की आपूर्ति 100 प्रतिशत बकाया थी तथा 25 सामग्रियों की आंशिक आपूर्ति की गई थी। इसका कारण ओईएम द्वारा पुर्जों की अनापूर्ति, नॉन-युरो वर्जन के टाट्रा वाहनों के पुर्जों के लिए दिए आदेश के बहुतांश सामग्रियों का स्वदेशीकरण न होना तथा जून 2012 पश्चात् बीईएमएल पर आयात प्रतिबंध की बाहरी परिस्थितियों को बताया गया।

उपर्युक्त परिस्थिति इस तथ्य के बावजूद हुई कि, टाट्रा वाहनों तथा उनके पुर्जों के स्वदेशीकरण के लिए 1986 में पहले से ही ओईएम (मेसर्स ओम्निपॉल) के साथ मेसर्स बीईएमएल का करार हो चुका था। बीईएमएल द्वारा पुर्जों के स्वदेशीकरण में असामान्य विलंब के मसले को हमारी पिछली रिपोर्ट (संघ सरकार, रक्षा सेवाएँ की 2014 की सीएजी के प्रतिवेदन संख्या 35 के पैरा 2.1) में रेखांकित किया गया था। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि, 2007 तक पुर्जों का स्वदेशीकरण करना शुरू नहीं किया गया और इसके परिणामस्वरूप 2013 तक कुल 10,878 सामग्रियों में से 4,423 सामग्रियों अर्थात् 40.66 प्रतिशत का ही देशीकरण किया गया था। आगे, 4078 देशीकृत सामग्रियों में से ₹ 39.51 करोड़ के मूल्य की 1758 सामग्रियों की आपूर्ति में कमी पाई गई जिसके लिए 2008-14 के दौरान सीओडी देहरोड द्वारा आदेश रखे गए थे।

¹⁹अंतरिम अवधि- वह अवधि जिसके दौरान आपूर्तिकर्ता को भण्डारों की आपूर्ति करनी होती है।

- (ii) 2010-16 की अवधि के दौरान, उपकरण जैसे कि रडार फ्लाय कैचर, रडार टीसी रिपोर्टर इत्यादि, के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के आपूर्ति के लिए सीओडी, आगरा द्वारा मेसर्स बीईएल को ₹ 475.78 करोड़ के मूल्य के रखे गए कुल 1152 आपूर्ति आदेशों में से मेसर्स बीईएल के पास ₹ 323.21 करोड़ मूल्य के 689 आदेश (60 प्रतिशत) बकाया थे जैसा कि नीचे तालिका-26 में निर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 26 : मेसर्स बीईएल के पास लम्बित आपूर्ति आदेश

वर्ष	रखे गए आपूर्ति आदेश	बकाया आपूर्ति आदेश		बकाया आपूर्ति आदेशों के मूल्य (₹ करोड़ में)
		संख्या	अक्रियान्वयन का %	
2010-11	188	107	57	8.44
2011-12	294	119	40	31.28
2012-13	109	45	41	20.90
2013-14	53	28	53	39.96
2014-15	188	105	56	57.21
2015-16	320	285	89	165.42
कुल	1152	689	60	323.21

हमने देखा कि, इन लम्बित आपूर्ति आदेशों में 72 प्रोडक्शन होल्ड-अप सामग्रियाँ भी समाहित थीं। इन प्रोडक्शन होल्ड-अप पुर्जों की अनुपलब्धता ने रडार फ्लाइकैचर, बीएफएसआर तथा टीसी रिपोर्टर के ओवरहाल को प्रभावित किया।

4.2 क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना

एचक्यू बीडब्ल्यूजी द्वारा जारी (नवम्बर 2004) तकनीकी अनुदेश संख्या 2 के अनुसार, घटकों या संशोधित किट की अनुपलब्धता के मामले में संबंधित एबीडब्ल्यू द्वारा विचलन संस्वीकृतियाँ प्रारंभ की जा सकती हैं, बशर्ते ये समग्र रूप में उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता तथा निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले तथा कर्मीदल या आपरेटर की लाइफ पर खतरा न हो। विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना नित्यकर्म न हो बल्कि अपवाद रूप में ही हो।

वर्कशॉपों से जुड़े गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता (क्यूसीईओ), जो मुख्यालय बेस वर्कशॉप ग्रुप के अधीन सीधे कार्यरत होते हैं, अपनी अभ्युक्तियों में विचलन के लिए सिफारिश या अन्यथा, देते समय दोनों तकनीकी तथा तार्किक, विस्तृत औचित्य तथा कारणों को स्पष्ट करते हैं। जहाँ विचलन संस्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं, उपकरण के कुशल संचलन के लिए एबीडब्ल्यू के कमांडेंट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होते हैं। इस संबंध में चयनित वर्कशॉपों में निम्नवत बिंदुओं को देखा गया।

505 एबीडब्ल्यू

क्रिटिकल पुर्जों तथा एसेम्बलियों की अनुपलब्धता के कारण, डिपो/युनिटों को टैंकों टी -72 को जारी करते समय एमजीओ द्वारा जिन सामग्रियों के लिए विचलनों को प्रदान किया गया था, उसे तालिका-27 में विनिर्दिष्ट किया गया है:

तालिका 27 : पुर्जों की माँग के लिए 505 ए बी डब्ल्यू में प्रदान की गई विचलन स्वीकृतियाँ

वर्ष	टी-72 का	सामग्रियाँ जिनके लिए विचलन प्रदान किए गए थे						
		गनर एनवीडी टीपीएन 1-49, एनवीडी टीकेएन-3	ईआरए बॉक्स	एएस-34	एएस-37	रोड व्हिल	ट्रक ऐसे	गंसोलिन इंजिन
2010-11	35	35	--	--	--	--	--	--
2011-12	10	09	--	01	--	--	01	--
2012-13	50	06	40	22	--	--	43	09
2013-14	30	--	30	15	18	22	06	04
2014-15	40	--	40	--	15	38	13	12
2015-16	40	--	10	--	--	10	10	05

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि, महत्वपूर्ण सामग्रियों जैसे ईआरए बॉक्स, ट्रक एसेम्बली, एएस-34, रात्री दृष्टि संयंत्र को बदले बगैर टैंकों को विचलन संस्वीकृति के साथ, युनिटों को प्रयोग के लिए जारी किया गया था। यह फील्ड में अभी भी प्राप्त किए जाने थे, तथा इसकी वजह से टैंकों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इन महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् ईआरए बॉक्स- जो विस्फोटक प्रहार से टैंकों की रक्षा करता है, ट्रक एसेम्बली- टैंक के चलने के लिए प्रयुक्त, एएस-34-संचार संयंत्र तथा रात्री दृष्टि संयंत्रों के महत्व को देखते हुए, सामरिक उद्देश्य के लिए टैंकों का युनिटों को जारी करना जीवन तथा उपकरण के नुकसान के जोखिम से युक्त है।

512 एबीडब्ल्यू

512 एबीडब्ल्यू द्वारा प्रस्तावित तथा एमजीओ द्वारा प्रदान किए गए विचलन संस्वीकृतियों के संकलित आकड़ों से हमने यह देखा कि, पुनरीक्षण अवधि (2010-16) के दौरान सीएएफवीडी को जारी सभी 398 ओवरहाल किए गए बीएमपी को विचलन संस्वीकृति दी गई थी। हमने देखा कि, तकनीकी अनुदेशों के प्रावधानों के विपरीत विचलन संस्वीकृतियाँ दिनचर्या के रूप में प्रदान की गई थीं तथा गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता (क्यूसीई) की सिफारिशों के बावजूद 139 बीएमपी को जारी किया गया, जिसमें 2010-11 में ओवरहाल किए गए 19 बीएमपी और 2013-14 में ओवरहाल किए गए 77 बीएमपी शामिल थे जिन्हें, नाइट विज़न संयंत्रों की अनुपलब्धियों के कारण क्यूसीई द्वारा 'युद्ध के लिए अनुपयोगी' घोषित कर दिया गया था, परंतु क्यूसीई की सिफारिशों के बावजूद एमजीओ द्वारा उसे जारी कर दिया गया था।

512 एबीडब्ल्यू ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2015) कि, पुर्जों की गैर-मौजूदगी में वर्कशाप के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय विचलन की माँग करना तथा ओवरहाल किए गए उपकरण को सौंप देना। इस उत्तर से यह साबित होता है कि, उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था क्योंकि, यह वाहन युद्ध परिदृश्य में रतौंधी से पीड़ित रहेंगे।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में, एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, सिर्फ उन्हीं पुर्जों/एसेम्बलियों के लिए विचलन संस्वीकृतियाँ माँगी जाती हैं जिसका किसी भी परिस्थितियों में उपकरण की सामरिक विश्वसनीयता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बताया गया कि, विचलन संस्वीकृति यदि सामरिक जरूरतों को प्रभावित करती है, तो आपूर्ति के स्रोत से आवश्यक पुर्जों की पावती मिलने तक उस विशिष्ट उपकरण को प्रयोग करने के लिए लाइन डायरेक्टर तथा एमजीओ शाखा के साथ विचार-विमर्श करके विचलन संस्वीकृति जारी की जाती है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, डीजीईएमई ने एसेम्बलियों/सब-एसेम्बलियों के स्वदेशीकरण के संदर्भ में अपनी चिंता स्वदेशीकरण निदेशालय को सूचित (मई 2015) की थी कि, पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण अल्प समय के लिए समस्याओं के निवारण के लिए विचलन संस्वीकृतियाँ प्रदान की गई तथा जिनके कारण उपकरण अधूरे रहे और जिन सामग्रियों की कमी है, वे कभी भी जारी नहीं किए गए। अतः यह साबित होता है कि, ऐसे उपकरण, जो हालाँकि युनिटों को जारी किए जाते हैं, प्रचलन के लिए पूर्णतया सक्षम नहीं हैं।

4.3 आयुध फैक्टरियों द्वारा त्रुटिपूर्ण भंडारों का न बदला जाना

फीडिंग डिपो को आयुध फैक्टरियों से उनके क्यूए द्वारा स्वयं प्रमाणन पुर्जे प्राप्त होते हैं जिन्हें एबीडब्ल्यू के गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) अनुभाग द्वारा निरीक्षण किया जाता है। क्यूसी त्रुटिपूर्ण पुर्जों के लिए 'त्रुटि रिपोर्ट' की शुरुआत करता है तथा त्रुटियों की जाँच सीक्यूए द्वारा की जाती है जो सीलबद्ध विशिष्टताओं को धारण करने वाला प्राधिकरण (एएचएसपी) है। दोष-जाँच की समाप्ति के पश्चात, सीक्यूए आयुध फैक्टरियों/डीपीएसयू को दोषपूर्ण भंडारों को बदलने/सुधार के लिए बैक-लोडिंग की सिफारिश करता है। हमने देखा कि, अधिकांश त्रुटिपूर्ण भंडारों को सप्लायर अर्थात् मेसर्स बीईएल के द्वारा बदला गया था। तथापि, दोषपूर्ण भंडारों को बदलने में आयुध फैक्टरियों की प्रतिक्रिया बहुत ही कमज़ोर थी।

512 एबीडब्ल्यू

पुनरीक्षण अवधि के दौरान सीएएफवीडी ने बदलने हेतु ओएफ, मेडक को रू.3.19 करोड़ मूल्य के दोषपूर्ण भंडारों को वापस किया था, परन्तु एक से पाँच वर्षों (अक्तूबर 2015) तक की अवधि के पश्चात भी दोषपूर्ण भंडारों को बदला नहीं गया। ओएफ, मेडक ने नवम्बर 2015 में यह स्पष्ट किया कि, दोषपूर्ण भंडारों के लिए लागत का समायोजन नहीं किया गया था तथा अस्वीकृत सामग्रियों की उनके द्वारा संशोधित/मरम्मत की जाएगी।

510 ए बी डब्ल्यू


इसी प्रकार, 510 एबीडब्ल्यू द्वारा पुनरीक्षण अवधि दौरान 173 त्रुटि रिपोर्ट को उठाया गया। दोषपूर्ण भंडार ओएसएस 510 एबीडब्ल्यू में पड़ा हुआ था। इन दोषपूर्ण भंडारों को संबंधित डिपो को अभी भी वापस किया जाना बाकी था।

इस प्रकार दोषपूर्ण भंडारों को बदलने में आयुध फैक्टरी की मंद गति तथा त्रुटिपूर्ण भंडारों को बैकलोड के लिए 510 एबीडब्ल्यू की ओर से होने वाले विलंब गंभीरता का विषय बन गया है क्योंकि, यह एबीडब्ल्यू की ओवरहाल प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

4.4 'सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपो' के क्रियान्वयन में विलंब

दो मुख्य वर्कशाप अर्थात् 505 तथा 512 एबीडब्ल्यू श्रेणी 'ए' वाहनों के ओवरहाल के लिए जिम्मेदार हैं, जो अपने-अपने उपकरणों के ओवरहाल के लिए पुर्जों की प्राप्त करने के लिए 6 केंद्रीय आयुध डिपो पर निर्भर हैं। नीचे दर्शाए चार्ट-2 में एबीडब्ल्यू में मौजूदा पुर्जों की आपूर्तियों के लिए विद्यमान मॉडेल को दर्शाया गया है।

चार्ट 2: पूर्जों की आपूर्ति के लिए माडल



एबीडब्ल्यू के लिए उपकरणों के पुर्जों के लिए कई डिपो पर निर्भरता असंतोष का एक प्रमुख क्षेत्र था क्योंकि, उन्हें विभिन्न फीडिंग डिपो के साथ विविध माँगों को उठाना तथा उनमें अनुरूपता बनाए रखनी पड़ती थी। प्रयोक्ता की संतुष्टि में सुधार करने तथा बेहतर उपकरण व्यवस्था देने के लिए, एमजीओ ने जुलाई 2013 में संपूर्ण आयुध इन्वन्टरी को चरणबद्ध तरीकेसे पुनः वर्गीकृत करना तथा 'सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपो' के क्रियान्वयन के लिए रूपात्मक विस्तारण करना तय किया।

पायलट परियोजना के रूप में टैंक टी-72 तथा टी-90 के लिए सीएएफवीडी, किरकी को सिस्टिम डिपो के रूप में स्थापित किया जाना था। इसके लिए सभी केंद्रीय डिपो में से टी-72 तथा टी-90 टैंकों से संबंधित इन्वन्टरी को जानना और उसे दिसंबर 2013 तक सीएएफवीडी को हस्तांतरित किया जाना था। तथापि, हमने देखा कि, सीओडी, आगरा से सीएएफवीडी को इन्वन्टरी का हस्तांतरण सितंबर 2015 में ही पूरा हो पाया। इसके अतिरिक्त सीएएफवीडी द्वारा इन पुर्जों (मार्च 2016) के लिए आपूर्ति आदेश अभी भी रखे जाने बाकी थे।

डीजीओएस (जुलाई 2016) ने अपने उत्तर में, टैंक-72 तथा टी-90 टैंकों के पुर्जों के प्रबंधन हेतु सीएएफवीडी को एकल खिड़की के रूप में कार्य जारी रखने की बात दोहराई परन्तु उन्होंने पायलट परियोजना के क्रियान्वयन में हुए विलंब पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं दी।

4.5 आपूर्ति तथा ओवरहाल एजन्सी के बीच असमन्वयन के कारण उसकी परिणति अनुचित पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुई

डीजीओएस पुर्जों के प्रावधान के लिए जिम्मेवार है तथा डीजीईएमई सेना वाहनों के फ्लीट के ओवरहाल तथा रखरखावके लिए जिम्मेवार है। एमजीओ के अधीन दोनों एजेन्सियों को समयोचित तथा संतोषजनक ओवरहाल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति तथा प्रबंधन पर निकटस्थ समन्वयन के साथ

कार्य करना आवश्यक है। तथापि हमने देखा कि, दोनों एजन्सिज़ के बीच असमन्वयन का परिणाम अनुचित पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

सेना में वर्ष 1999 से 2004 के बीच 352 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 को अधिप्राप्त किया गया था और इनको नियमित रूप से उपयोग में लाया जा रहा था। 15 वर्षों की अवधि में, पुर्जों का वेस्टेज पैटर्न स्थापित हो गया था।

हमने देखा कि, ₹ 1400.84 करोड़ की लागत के 204 एआरवी डब्ल्यूजेडटी-3 के अनुबंध को मेसर्स बीईएमएल के साथ (अक्टूबर 2011) बनाते समय वेस्टेज पैटर्न के मौजूद होने के बावजूद, एमआरएलएस (पुर्जों की उत्पादनकर्ताओं द्वारा सिफारिश की गई सूची) के अधीन अनुबंध में समाविष्ट करने के लिए पुर्जों की सूची को अन्तिम रूप देने से पहले ईएमई शाखा ने आयुध शाखा से परामर्श नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, 765 पुर्जे, जहाँ वेस्टेज पैटर्न मौजूद था, को एमआरएलएस में शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 83 सामग्रियों, जिनके लिए कोई वेस्टेज पैटर्न मौजूद नहीं था उन्हें शामिल किया गया। यदि आयुध शाखा के साथ परामर्श लेने के बाद एमआरएलएस की सूची को अन्तिम रूप दिया जाता, तो इन पुर्जों को अनुबंध में ही प्राप्त किया जा सकता था।

उत्तर में एमजीओ ने बताया (मई 2016) कि, हालाँकि पुर्जों का वेस्टेज पैटर्न स्थापित किया गया था, मेसर्स बीईएमएल पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर पाया, अतः एमआरएलएस को अनुबंध में शामिल किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, एमआरएलएस के शामिल किए जाने के पूर्व डीजीईएमई के द्वारा भंडारण एजन्सी (डीजीओएस) के साथ परामर्श किया जाना चाहिए था ताकि ऐसे भंडार जिनका वेस्टेज पैटर्न स्थापित है केवल उन्हीं की ही अधिप्राप्ति की जा सके।

निष्कर्ष

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2005 की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई नोट में मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2006) था कि, पुर्जों के प्रबंधन के लिए, विविध कदम जैसे कि, त्रैमासिक पुर्जों की पुनरीक्षण बैठक बुलाना, लक्ष्य निर्धारण तथा मध्यावधि पुनरीक्षण बैठक, ओवरहाल वचनबद्धता की मानिट्रिंग के लिए विशेष टॉस्क फोर्स का निर्माण करना, तथा आयुध शाखा के साथ नियमित सुसंवाद उठाए जाएंगे। तथापि पुर्जों की समय पर उपलब्धता होने की समस्या बनी रही। ओवरहाल के लिए विलम्ब का मुख्य कारण था पर्याप्त रेंज तथा मात्रा और समय पर पुर्जों की अनुपलब्धता जिसके फलस्वरूप ओवरहाल के लिए उपकरण का बँकलॉग रहा। आपूर्ति एजन्सियों पर फीडिंग डिपो द्वारा पुर्जों की माँगों को समय पर नहीं रखा गया। ओईएम, विशिष्ट उपकरण के पुर्जों की आपूर्ति के लिए सिंगल विंडों के रूप में प्राथमिक आपूर्तिकर्ता चयनित किए जाने के बावजूद भी असफल रहा क्योंकि, इसकी पूर्ति करने के लिए उनके पास पर्याप्त क्षमताएँ नहीं थीं।


क्रिटिकल पुर्जों की उपलब्धता न किए जाने के कारण विचलन संस्वीकृतियों के सहारे युनिटों तथा फार्मेशनों को ओवरहाल किए गए उपकरण जारी किए गए। इन अभावों को फील्ड क्षेत्रों में भी पूरा नहीं किया जा सका, जिसने उपकरण के कार्यान्वयन को प्रभावित किया।

एबीडब्ल्यू में पुर्जों की आपूर्ति का जटिल मॉडल था जिसमें उन्हें विभिन्न स्थानों में स्थापित विविध फीडिंग डिपो से उपकरण के लिए पुर्जों की माँग करनी पड़ती थी। हालाँकि, इस समस्या से उभरने के लिए सिस्टिम आधारित केंद्रीय डिपो की संकल्पना लायी गई, जिसमें टैंक टी-72 तथा टी-90 के लिए पुर्जों के प्रबंधन हेतु सीएएफवीडी को एकल खिड़की के रूप में नामित किया गया था। इस पायलट परियोजना को अभी क्रियान्वित किया जाना बाकी है।

सिफारिशें


1. पुर्जों के समयबद्ध प्रावधानों, अधिप्राप्ति तथा उपलब्धता के लिए एक एकीकृत आईटी आधारित पुर्जों की प्रबंधन व्यवस्था रखी जाने की आवश्यकता है।
2. सेना द्वारा शुरू की गई सिस्टम आधारित डिपो की संकल्पना को वरीयता देते हुए क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
3. पुर्जों की उपलब्धता को बढ़ाने की अत्यावश्यकता के संबंध में, पुर्जों की उपलब्धता में आने वाले अवरोधों को पहचाना जाना चाहिए तथा इन पुर्जों को निर्माण या बाजार/ओएफ द्वारा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए। 515 एबीडब्ल्यू में कार्य आदेशों के क्रियान्वयन में विलंब के कारणों का निदान तथा समाधान करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 26 दिसम्बर 2016


(पराग प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 26 दिसम्बर 2016


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

संक्षिप्तियों की सूची

एआरवी	आर्मर्ड रिकवरी वाहन
एबीडब्ल्यू	आर्मी बेस वर्कशॉप
एडीजी(प्रोक्)	अतिरिक्त महानिदेशक (अधिप्राप्ति)
एडीजी(ईएम)	अतिरिक्त महानिदेशक (उपकरण प्रबंधन)
एएफवी	आर्मर्ड फायटिंग वाहन
एएचक्यू	सेना मुख्यालय
एएचएसपी	विशिष्टताओं को धारण करने वाला प्राधिकरण
एटीएन	कार्रवाई की गई टिप्पणी
बीडीएल	भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड
बीईएल	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
बीईएमएल	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
एफएसआर(एमआर)	युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार (मध्यम दूरी)
बीएचईएल	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सीएएफवीडी	सेन्ट्रल आर्मर्ड फायटिंग वाहन डिपो
सीएसडी	केन्द्रीय वैमानन आपूर्ति डिपो
सीएफए	सक्षम वित्तीय प्राधिकार
सीएलआर	घटक स्तरीय मरम्मत
सीओडी	केन्द्रीय आयुध डिपो
सीक्यूए	गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय
सीवीडी	केन्द्रीय वाहन डिपो
सीवीआरडीई	कॉम्बेंट वाहन अनुसंधान विकास संस्थापन
डीजी सेट्स	डीज़ल जनरेटिंग सेट्स
डीजीईएमई	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा यांत्रिकी इंजीनियरिंग के महानिदेशक
डीजीएमएफ	मॅकेनाईज्ड बल के महानिदेशक
डीजीओएस	आयुध सेवाओं के महानिदेशक
डीजीक्यूए	गुणवत्ता आश्वासन के महानिदेशक
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीपीएसयू	रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
ईएफए	इंजिन फॅक्टरी आवडी
ईएमई	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा यांत्रिकी इंजीनियरिंग
ईएमपीएस	उपकरण प्रबंधन नीति विवरणी
ईआरए	एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर
ईएसपी	इंजीनियरिंग सहायक पॅकेज
ईटीपी	निस्सारी उपचार प्लांट
एचएएल	हिंदुस्तान वैमानन लिमिटेड
एचक्यू बीडब्ल्यूजी	मुख्यालय बेस वर्कशॉप ग्रुप

एचआरवी	हेवी रिकवरी वाहन
एचवीएफ	भारी वाहन फॅक्टरी
आईसीवी	इन्फन्ट्री कॉम्बैट वाहन
आईएचक्यू	एकीकृत मुख्यालय
आईपी	अंतरिम अवधि
आईपी	औद्योगिक कार्मिक
आयटी	सूचना प्रौद्योगिकी
एलआरपीपी	दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना
एमबीटी	मुख्य युद्ध टैंक
एमईएस	मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा
एमजीओ	आयुध के मास्टर जनरल
एमआईएसओ	प्रबंधन सूचना प्रणाली संगठन
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमआर	मीडियम रिपेयर
एमआरएलएस	निर्माणकर्ताओं द्वारा सिफरिश की गई पुर्जों की सूची
एमयूए	मेजर यूनिट एसम्बली
एनवीसी	न्यूक्लियर बायोलॉजिकल तथा केमिकल
ओडी	आयुध डिपो
ओईएम	मूल उपकरण निर्माणकर्ता
ओएफ	आयुध फॅक्टरी
ओएफबी	आयुध फॅक्टरी बोर्ड
ओएफएम	आयुध फॅक्टरी, मेडक
ओएच	ओवरहाल
ओएलएफ	ऑप्टो इलेक्ट्रनिक्स फॅक्टरी
ओपीआई	ऑपरेशनल इमिडिएट
ओएसएस	आयुध भंडार अनुभाग
पीडीसी	पूरी करने की संभाव्य तिथि
पीएमएसई	प्लांट मशीनरी विशेष उपकरण
पीपी	परिप्रेक्ष्य योजना
पीपीपी	प्रायोरिटी अधिप्राप्ति योजना
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
पीटीवाय	प्रायोरिटी
क्यूए	गुणवत्ता आश्वासन
क्यूसी	गुणवत्ता नियंत्रण
क्यूसीई	गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर
क्यूआई	गुणवत्ता इन्डेक्स
आरएफपी	प्रस्ताव का निवेदन
आरआई	रेसिडेन्शियल निरीक्षक
आरओ	निर्गत आदेश
आरओई	रोझोबोरानएक्सपोर्ट
आरयूटी	रुटीन

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा

एसएमटी	विशेष मशीनी औजार
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसपीआरडी	विशेष प्रावधान पुनरीक्षण निर्देश
एसटीई	विशेष जाँच उपकरण
टीजीईएमई	इलेक्ट्रानिक्स तथा यांत्रिकी इंजीनियरिंग का तकनीकी गुप
टीजे	औजार/रिग्स
टीओटी	प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
डब्ल्यूओ	कार्य आदेश

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in